हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2016 को माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैंबर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

11.03.2016/1100/SLS-AS-1

Speaker: Question Hours begins.

श्रीमती आशा कुमारी जी अपना प्रश्न पूछेंगी।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, आज मीडिया में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार छपा है - 'शराब के ठेकों पर फिर रोल बैक की तैयारी'। मार्च महीने में जो नई आबकारी पौलिसी आनी चाहिए, कई वर्षों से लगातार, उसे लाने की अपेक्षा फिर उन्हीं लोगों को यह कारोबार दिया जा रहा है। समाचार-पत्र के अनुसार आज कैबिनेट बैठक भी है। पहले अनाऊंस हो जाता है कि ठेकों की नीलामी होगी। कई लोग रोज़गार की उम्मीद में हैं कि नीलामी होगी तो नए लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। फिर अचानक क्या होता है कि वह पॉलिसी रोल बैक हो जाती है। चर्चाएं ये होती हैं कि इसमें लेन-देन हुआ और प्रदेश सरकार संसाधन जुटाने में पूरी तरह असफल है। 200-300 करोड़ रुपये की चपत हर साल इसी कारण से लग रही है कि हम शराब के ठेकों की नीलामी नहीं कर पा रहे हैं। यह प्रदेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। चर्चाएं अभी से प्रारंभ हो गई हैं कि इतने में डील हो गई। यह चर्चाएं आम हो रही हैं और जो डीलर्ज़ हैं वह भी बातें कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से स्पष्ट घोषणा चाहता हूं कि क्या इस बार ठेकों की नीलामी होगी या फिर रोल बैक कर आप फिर से उनको वैसे ही अलौट कर देंगे; थोड़ी-बहुत वृद्धि करके और कुछ अंडर हैंड चलेगा?

Chief Minister: He is trying to jump the gun. We are very clear. We want to broaden the horizon so that everybody and even the people from outside can bid for the liquor contracts or allocation. We want to follow a policy, which is prevalent in States like Rajasthan, Tamil Nadu and others, and by following the same the revenues from the excise has doubled and increased

appreciably. In Himachal Pradesh, during the past years, even from your time, we have followed a static policy which has given much scope for increasing the

11.03.2016/1100/SLS-AS-2

revenues to the State. So, wait for the Policy, then comment. Don't go on hearsay? Don't go on what newspaper write?

Prof. Prem Kumar Dhumal: I thank to the Hon'ble Chief Minister. We stand by his words as "if possible this time". Let me make it very clear that last year also you had announced that there will be open auction. What happened in between that you rolled back your decision? That is the apprehension now we have. We are not jumping the gun. We are anticipating a loss. (Interruption) I am not yielding, Sir.

Chief Minister: Wait for the Policy. Why you are trying to create unnecessary doubts?

Prof. Prem Kumar Dhumal: Sir, I am not yielding. You have allowed me. Let him speak later on. He can reply.

Chief Minister: Whether newspapers are your Bible or Geeta? Wait for the policy. It will come in a day or two and then you have every right to say.

..Continued in English by AS

11/03/2016/1105/RG/AS/1

Prof. Prem Kumar Dhumal: Are you Quran? If I am not Geeta, you are Quran? अध्यक्ष महोदय, यह तो मुख्य मंत्री जी की अजीब बात हो गई कि जब मर्जी

बीच में उठकर बोलना शुरू कर देते हैं, चाहे कोई सदस्य बोल रहा हो। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी है। मैं यह कह रहा हूं कि पिछली बार भी इन्होंने घोषणा की थी, इन्होंने इसको रोल बैक किया था या नहीं किया? तब क्या हुआ था और किन कारणों से यह रोल बैक हुआ? इसीलिए आज आशंका व्यक्त की गई है कि आज फिर यह होने वाला है और यह समाचार-पत्र की हैड लाईन है। इसलिए प्रदेश के हित में हम बात करेंगे।

मुख्य मंत्री : यदि कल को ऐसा नहीं हुआ , Then the newspaper will be sued by the Government for false propaganda.

Prof. Prem Kumar Dhumal: Yes, you can sue whatever you want to do. But whatever is raised in the interest of the State, we will raise in the House.

मुख्य मंत्री : कोई ऐसी पॉलिसी है ही नहीं। We are trying to change the policy and if any newspaper has written to the contrary, he is trying to create unnecessary doubts in the minds of the people.

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : जब-जब ऐसी बात आएगी, तो हम प्रदेश हित में बात करेंगे। अध्यक्ष महोदय, दो लोगों को आप कैसे बोलने की अनुमति दे रहे हैं?

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, जब आपने एक सदस्य को बोलने के लिए अनुमति दी है, तो दूसरे सदस्य कैसे बोल रहे हैं? विपक्ष के नेता जब अपनी बात कह दें, उसके पश्चात मुख्य मंत्री जी जवाब दें।

मुख्य मंत्री : बात यह है कि policy is yet to come और जब पॉलिसी आ जाएगी, तो उसके पश्चात ये मामला उठा सकते हैं।--(व्यवधान)---

श्री सुरेश भारद्वाज : सर, प्रदेश का अरबों रुपयों का नुकसान हो रहा है। ये डीलर बता रहे हैं कि हमने ---(व्यवधान)----चढ़ा दिया है।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : चढ़ावे वाले बता रहे हैं।

11/03/2016/1105/RG/AS/2

Speaker: I think let the Government reveals its policy, then you can take decision accordingly. That will be better course. Once the things are apparent, you can raise this point.

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय मुख्य मंत्री बार-बार कह रहे हैं कि he is jumping the gun. जब कोई मुद्दा उठाया जा रहा हो, तो चाहे कोई माननीय मुख्य मंत्री हो या कोई मंत्री हो, उनको इन्तज़ार करना चाहिए कि क्या बात आई और फिर उसका उत्तर दें। हम इसीलिए कह रहे हैं कि पुराना अनुभव यह है और जो लोग उस समय कहते थे कि हमने कुछ दे दिया, इसलिए अब पॉलिसी चेन्ज नहीं होगी, वे इसकी चर्चा बाज़ार में कर रहे हैं। इसलिए जब आपने कहा है, तो हम देख लेते हैं कि आपकी क्या पॉलिसी आती है। Let it be an assurance on the Floor of the House.

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज 11 तारीख हो गई है। कब इनकी कैबिनेट की मीटिंग होगी।

अध्यक्ष : अब क्या बात है, अब बात खत्म हो गई। Please don't escalate the matter. This is not an issue. You see, Leader of the House and Leader of the Opposition have already settled their matter. This is not a matter to be discussed. I won't allow you (Shri Mahender Singh). श्रीमती आशा कुमारी का प्रश्न है।---(व्यवधान)-----(विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गए।)---(व्यवधान)------

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा इस सदन में यह आरोप है कि बार-बार ऐक्साईज पॉलिसी को रोल बैक किया जा रहा है जिससे बहुत बड़ी धांधली सामने आ रही है।---(व्यवधान)-------

एम.एस. एवं ए.एस. द्वारा अध्यक्ष अंग्रेजी में शुरू.

Speaker: Leader of the Opposition and Leader of the House have already decided things. You should not raise this point again. Kindly don't raise this point again. यह बात अभी एजेंडा में है ही नहीं और दोनों लीडर्ज ने बोल दिया है। Let the policy come and then you speak on that. अभी कोई बात नहीं होगी, बात हो गई है।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी बात रखने तो दीजिए।

अध्यक्षः आपने क्या बात करनी है? This is not the time. Okay, I will give you time after the Question Hour.पहले प्रश्न काल होने दीजिए। This is not the time to raise this issue. I won't allow you. Kindly don't enforce your own agenda. इसमें कोई इशू ही नहीं है और न ही कोई एजेंडा है। This is not to be recorded. ..... Not allowed. श्रीमती आशा कुमारी जी का प्रश्न है।-(व्यवधान)-

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, -(व्यवधान)-

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, आप हमें क्यों अपनी बात नहीं रखने देते हैं?

अध्यक्षः आप क्या बात करेंगे, जब कोई बात ही नहीं है? दोनों लीडर्ज ने डिसाइड कर दिया है। जब बात आएगी तब बोल सकते हैं। Let the policy come from the Government side, and then you can speak as much you like. आप प्रश्न काल क्यों खराब कर रहे हैं? आप लोगों के ही प्रश्न लगे हैं। -(व्यवधान)-आप सुनिए। आप बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं? -(व्यवधान)-आप लोग दुबारा वही बोलना चाहते हैं जो आपके लीडर्ज ने पहले ही डिसाइड कर लिया है?

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, आप जब तक हमें अपनी बात नहीं रखने देंगे तब तक आपको क्या मालूम है कि हम क्या बोलना चाहते हैं?

Speaker: This is not the proper time to speak on this.

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, विपक्ष की यह चिन्ता है,

अध्यक्षः वह बात तो हो गई है।

11/03/2016/1110/MS/DC/2

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, आप आगे बोलने तो दीजिए।

अध्यक्षः ये भी वही बोल रहे थे।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, विपक्ष की यह चिन्ता है कि जो एक्साइज पॉलिसी है, जब एक्साइज पॉलिसी बनती है तो इसको समय रहते हुए बनाया जाता है और बना करके केबिनैट से एप्रूव होकर फिर उसको हाउस में ले किया जाता है। आज 11 तारीख हो चुकी है। 31 मार्च को जितने भी पिछले ठेके हैं वे सारे बन्द हो जाएंगे। अगर आपकी नीयत ऐसी थी कि हमने एक्साइज पॉलिसी की ओपन ऑक्शन करनी है तो यह केबिनैट से होकर के, हाउस में ले होकर के फिर इसकी बाकायदा तिथि निश्चित करनी पड़ती है कि फलां जिले में फलां तारीख को ऑक्शन होगी। अध्यक्ष जी, हम माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहते हैं कि इस पॉलिसी में नये सिरे से हिमाचल प्रदेश के अंदर ओपन ऑक्शन दुबारा से इन ठेकों की हो। जो रोल बैक की बात है, इस प्रदेश के लोग और विशेष करके इस प्रदेश का जो बेरोज़गार नौजवान है वह चाहता है कि इनकी ओपन ऑक्शन हो ताकि हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहते हैं कि समय रहते हुए, क्योंकि आपके पास समय कम है, इसको केबिनैट से एप्रूव करके हाउस में ले करें और इसकी तिथियां पूरे प्रदेश के अंदर जारी करें। यही हम माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहते हैं?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि our Excise Policy is yet to be framed. When the policy is framed, the House will know it. Then you can raise the issues. अभी तो कोई चीज नहीं है और उसके ऊपर आप बहस कर रहे हैं।

अध्यक्षः मैं भी तो वही कह रहा हूं।

11/03/2016/1110/MS/DC/3

Question No.2832

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि बी0पी0एल0 का अंतिम सर्वे वर्ष 2003 में हुआ था यानी इस बात को 13 साल हो चुके हैं। अध्यक्ष जी, यह बात ठीक है कि बी0पी0एल0 के सर्वे बारे भारत सरकार तय करती है कि यह कब करना है परन्तु इसकी कोई समयावधि तो होगी? बी0पी0एल0 परिवार जो चयनित हुए हैं, उस बारे में कई बार यह पूरा हाउस चिन्ता व्यक्त कर चुका है कि कई लोग जिनको बी0पी0एल0 में होना चाहिए वे उससे वंचित हैं और जिनको नहीं होना चाहिए वे उन लिस्ट्स में हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

11.03.2016/1115/**जेएस/डीसी**/1

प्रश्न संख्याः 2832:-------**जारी**---------

श्रीमती आशा कुमारीः------**जारी**-----

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी बजट स्पीच में भी कहा है कि जो गलत चयन हुआ है उनको हटाएंगे। जो आपका प्रोसिज़र है वह बहुत लैंथी है। इसके अलावा जो बी0पी0एल0 वास्तव में होने चाहिए वह गरीब लोग है और जो नहीं होने चाहिए वह रसूखवान लोग है। वह गरीब कहां अपनी बात ग्राम सभा में रखेगा।

दूसरे, एस0डी0एम0 को क्या आप सूओमोटो पॉवर लिस्ट चैक करने की देंगे। यह पूरे सदन में एक चिन्ता का विषय है। सर्वे अभी आप करने वाले नहीं है। पहली बात तो यह है कि आप सर्वे क्यों नहीं कर रहे हैं? 13 साल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो

बी0पी0एल0 से बाहर निकल गए होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बी0पी0एल0 के लिए क्वालिफाई करते हैं। इस डिस्पेरिटी को दूर करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्या ने जानना चाहा वह बहुत चिन्ता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से जो हमें डायरैक्शन्ज़ आई हैं मैं उस बारे में माननीय सदस्या से कहना चाहता हूं कि Ministry of Rural Development, Government of India vide its DO letter number Q14016/6/2011 AIRD issued instructions to conduct the Socio Economic Caste Census for antiquation of BPL families for the 12th Financial year Plan. BPL families would be selected on the basis of Socio Economic Caste Census data . The Socio Economic Caste Census is being carried out both in rural and urban areas jointly with the technical and financial support of the Ministry of Rural Development Department, Government of India in the State. यह जो हमारा प्रोसैस है उसके बारे में मैं आपको कह रहा हूं कि यह प्रोसैस लगातार चलते हुए हमारी जो हमारी लेटर स्टेज है। The State completed SECC 2001 district wise और सारा हमने इसका ऑलरेडी कर लिया है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की

11.03.2016/1115/जेएस/डीसी/2

डायरैक्शन आने के बाद विस्तार से इसके ऊपर हमने अपना सारा काम कर दिया है अब जैसे ही भारत सरकार की डायरैक्शन आएगी उसके बाद सोशियो इकोनोमिक सेंसिंज की जो कॉस्ट सेंसिज है उसके ऊपर बी0पी0एल0 फेमिलीज़ का उस डायरैक्शन के ऊपर हम चयन करेंगे।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि भारत सरकार

से सोशियो इकोनोमिक जो इंडिकेटर्ज़ हैं उनके मुताबिक इन्होंने कर दिया है यानि क्या कर दिया है? क्या यह सदन को बताएंगे कि सोशियो इकोनोमिक फेक्टर्ज के बाद जो आपने चयन करना है उसके लिए आपने क्या किया है? क्या उसमें आप फ्रैश सर्वे करेंगे? क्या उसमें जो पुरानी लिस्ट है उसमें से डीलिशन्ज़ करेंगे, क्या करेंगे? ये तो एक फेक्टर्ज़ हैं या तो इंडिकेटर्ज़ है कि सोशियो इकोनोमिक उसमें करें। आप कह रहे हैं कि आप सर्वे नहीं करेंगे। फिर आप कह रहे हैं कि सोशियो इकोनोमिक इंडिकेटर्ज़ पर करेंगे। आपकी मंशा क्या है, इसके बारे में आप क्या सदन को अवगत करवाएंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्या कह रहीं हैं कि हमने इसके ऊपर जो गाईड लाईन भारत सरकार की सेंसिज को करवाने की आई थी । उसके ऊपर हमने पूरा काम कर लिया है। इसकी हमारे पास पूरी डिटेल है। अगर आप डिटेल चाहेंगे तो इस डिटेट को हम हाऊस में बता सकते हैं। क्योंकि जो भारत सरकार की डायैक्शन्ज़ आई उसके बाद हमने Stages of Census of Status इसके ऊपर युनिट ब्लाक बना दिए गए। युनिट ब्लॉक के अन्दर हमने जो 6,177 पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, सहायक, ग्राम रोज़गार सेवक इन सभी को कराके इनके ऊपर सर्वे करवा लिया गया। उसके लिए जो परफोर्मा था उसके बेसिज पर डोर-टू-डोर जा करके पूरा सर्वे किया और सर्वे के बेसिज़ पर जो रिपोर्ट बनाई उसको भारत सरकार को सबमिट कर दिया है। ये जो आप कह रहे हैं कि बी0पी0एल0 परिवार का चयन हमने तीन बार ऑलरेडी इसका रिव्यू किया गया है। जो रिव्यू करने के बाद हमने फर्स्ट रिव्यू 6 अप्रैल, 2008 को दिया था और उसके उपरान्त हमने दूसरा रिव्यू 3 अप्रैल, 2011 को किया और तीसरा रिव्यू 7 अप्रैल, 2013 को किया। यह रिव्यू करने की प्रक्रिया थी उसमें डीलिशन्ज़ और अडिशन्ज़

11.03.2016/1115/जेएस/डीसी/3

वह स्पेशल ग्राम सभाओं के माध्यम से की गई थी। जो भारत सरकार की सैंसिज़ की

बात मैं कह रहा हूं इसमें डोर-टू-डोर जा करके उसमें लोगों के बारे में सारा पता करके रिपोर्ट भारत सरकार को सबमिट की है। वे तय करेंगे कि बी0पी0एल0 परिवार को चयन करने के लिए कौन-कौन सी गाईडलाईन है। उनकी डायरैक्शन आने के बाद ही हम उनका चयन करेंगे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

11.03.2016/1120/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 2832 क्रमागत

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी क्वैश्चन के आन्सर को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक सैंसस की और हम बात कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग बी0पी0एल0 परिवार हैं, उसमें अपात्र व्यक्ति नहीं होने चाहिएं और जो पात्र व्यक्ति शामिल नहीं हैं वे बी0पी0एल0 सूची में शामिल होने चाहिए। हम उसकी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं जिसकी चिन्ता माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 8 तारीख को जो अपना बजट पेश किया, उसमें की है। वह इनके बजट भाषण का हिस्सा है कि जो लोग इसमें गलत सूची में अंकित हैं उनको सूची से हटाया जायेगा और पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0 सूची में ऐड किया जायेगा। ये जो गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के इंडीकेटर हैं ये तो सैंसस के लिए हैं। आगे क्या करना है उसके लिए हैं। एग्जिस्टिंग बी0पी0एल0 सूची में डिलीशन की जो प्रक्रिया है वह बहुत कम्प्लीकेटिड है। उस प्रक्रिया से डिलीशन करना ऑलमोस्ट इम्पोसिबल है। हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि क्या आप एस0डी0एम0 को सूओ-मोटो डिलीशन की पावर देंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया था, पहले आप अपने मूल प्रश्न पर जाईये। आपका मूल प्रश्न यह था कि when was the last survey to identify IRDP/BPL families held? मैं आपको आपके प्रश्न पर जवाब दे रहा हूं। इसका 2003 को सर्वे हुआ और सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा। उसके बाद स्टे वकेट हुआ और उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई थी। जो आपका मूल प्रश्न है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। जो आप एडिशन/डिलीशन की बात कह रही हैं उसमें माननीय मुख्य मंत्री

जी ने इस बात को कहा। यह चिन्ता का विषय हाउस का भी है और माननीय मुख्य मंत्री जी का भी है। बी0पी0एल0 चयन के अंदर ग्राम सभा को इम्पावर्ड किया गया है। वह ही इसमें चयन, एडिशन और डिलीशन करती है। यह काम ग्राम सभा का है। जब मामला माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में आया तो इस बात को कहा गया कि इसके बोर्ड लगाये जायेंगे जिन घरों ने बी0पी0एल0 का फायदा उठाया है जोकि बी0पी0एल0 चयनित हैं। उनका फोटो लेकर इस तरीके से बताया जाए कि ये लोग चयनित हैं। ग्राम सभा को अथोराइज्ड किया गया था और तीन बार स्पैशल ग्राम सभाएं एडिशन, डिलीशन करने के लिए रखी गईं। जो आप सूओ-मोटो की

11.03.2016/1120/SS-AG/2

बात करते हैं, सूओ-मोटो की बात हम एस0डी0एम0 को नहीं कह सकते हैं। जैसे एक बार महेश्वर सिंह जी ने प्रश्न किया था कि एक ग्राम सभा के अंदर इतने लोग बी0पी0एल0 परिवार हैं हमने उनको पूरा वैरीफाई किया और उसको वैरीफाई करने के बाद बी0पी0एल0 फैमिलीज़ में जिनका गलत चयन हुआ था उनको ग्राम सभा के माध्यम से हटा दिया। यह ताकत ग्राम सभा को ही दी गई है। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद यदि गलत चयन बी0पी0एल0 में होता है तो एस0डी0एम0 को अपील की जाती है और एस0डी0एम0 के निर्णय के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर को दोबारा से अपील की जा सकती है।

श्री संजय रतनः सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक तो बी0पी0एल0 सर्वे की बात है। इसके लिए नया सर्वे बड़ा ज़रूरी है। आज जिसके पास गाड़ी है, स्कूटर या मोटर-साइकिल है और अच्छा लैंटरवाला घर है वे लोग बी0पी0एल0 सूची में शामिल हैं और जो लोग झुंगी-झौंपड़ी में रहते हैं वे बी0पी0एल0 के लाभों से वंचित हैं। दूसरा, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मान लो एक पंचायत में 100 परिवार बी0पी0एल0 में हैं। उसमें से 10 लोगों को जोकि सबसे गरीब होते हैं उनको राशन के लिए अंत्योदय फैमिली में डाल देते हैं। उनको जो दूसरे बी0पी0एल0 के बेनिफिट्स हैं जैसे कि रूल-12 में एप्वाइंटमैंट होनी है या उनको मकान मिलना है या दूसरे अन्य बेनिफिट्स मिलने हैं उनसे क्यों वंचित करते हैं? क्या वे उसके हकदार नहीं हैं? क्या वे बी0पी0एल0 परिवार से डिलीट हो जाते हैं अगर अंत्योदय में

चले जाते हैं?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर ग्राम सभा को ही एडिशन और डिलीट करने की पूरी पावर दी गई है। इसमें सरकार की किसी को वंचित करने की कोई मंशा नहीं होती। ग्राम सभा के अंदर चयन करने के बाद जैसे मैंने कहा कि यदि किसी का बी0पी0एल0 में गलत चयन हो गया है तो पात्र व्यक्ति लिख सकता है कि फलांना आदमी चयन किया गया है जोकि सही नहीं है। वह उसमें एस0डी0एम0 को अपील कर सकता है।

श्री संजय रतनः अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर सही नहीं आया है। मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई व्यक्ति बी0पी0एल0 फैमिलीज़ में है उनमें से जो गरीब-से-गरीब होता है उसको राशन के लिए अंत्योदय फैमिली में सिलैक्ट कर लिया

11.03.2016/1120/SS-AG/3

जाता है तो उसके बी0पी0एल0 के बाकी राइटस क्यों खत्म होते हैं? जैसे किसी को बी0पी0एल0 में मकान मिलना है, जब वह बी0पी0एल0 से भी नीचे होता है तब उसको राशन के लिए अंत्योदय में डाला जाता है। जो ग्राम सभा है या पंचायत के प्रधान हैं वे उनको कहते हैं कि आपको हमने राशन के लिए दे दिया है। सिर्फ उनको खाने के लिए रोटी मिलती है लेकिन उनको घर नहीं मिल सकता क्योंकि वह घर के लिए योग्य नहीं है। क्या ऐसा इनके नॉर्म्ज़ में है या नहीं है? यह मैं जानना चाहता हूं।

जारी श्रीमती के0एस0

11.03.2016/1125/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्या 2832 जारी---

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, जैसे मैंने कहा कि जो

बी0पी0एल0 परिवारों का चयन किया जाता है उसमके नॉर्मज़ रखे गए हैं। उनमें यह है कि इरिगेटिड लैंड है, उसको एक हैक्टेयर तक है। अनइरिगेटिड लैंड है, उसको दो हैक्टेयर तक माना गया है। गाईड लाईन के अंदर जो पक्के मकान हैं उसको हम बाहर रखते हैं या किसी के पास टू या फोर व्हीलर हैं, बी.पी.एल. की गाईड लाईन में उसके चयन की प्रक्रिया के बारे में सारा है। चयन प्रक्रिया के अंदर एक पंचायत के अंदर कितने बी.पी.एल. परिवार होने हैं, उसको भी डिसाईड किया गया है एक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 परिवार होने चाहिए। 10 से ऊपर ग्राम सभा के अन्दर कितने-कितने हैं, वह केबिनैट के अंदर डिसिज़न हुआ था । इस वक्त यदि हम वस्तुस्थिति की बात करें तो हमारे पास बी.पी.एल. परिवार का टारगेट 02,82,370 का है। उसके अगेंस्ट भी इस वक्त 02,82,278 परिवारों का चयन किया गया है। इसका मतलब है कि अभी तक 92 हमारे टारगेट से नीचे हैं।

श्री संजय रतनः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि बी.पी.एल. परिवार के जो 100 परिवार सलैक्ट हुए उसमें से poorest of the poor को आपने राशन के लिए 10 को सलैक्ट कर दिया। तो उनके जो बाकी राईट्स हैं, वह बी.पी.एल. के खत्म क्यों कर दिए? यह मेरा प्रश्न है। उनको वह राईट्स मिलने चाहिए, घर मिलना चाहिए बी.पी.एल. की हैसियत से। क्या आप इसमें इन्क्वायरी करेंगें कि पंचायतों में ऐसा क्यों हो रहा है?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य जानना चाहेंगें, मैंने खुद कहा कि यह जो poorest of the poor की आप बात कर रहे हैं या दूसरी बात कर रहे हैं इसमें अन्त्योदय लाभार्थियों को बी.पी.एल. तथा अन्य सुविधा के लिए हमने वंचित नहीं किया है।

श्री संजय रतनः अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि इन्क्वायरी करवाएं और बी.पी.एल. के सारे बैनिफिट्स उन लोगों को मिलने चाहिए। क्या आप इसको क्लैरिफाई करेंगें?

सभी पंचायतों के प्रधानों को आप निर्देश देंगें कि उनके बी.पी.एल. के राईट्स खत्म नहीं होते हैं?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, यदि ये सूचना दें तो उसके ऊपर इन्क्वायरी करेंगें।

श्री संजय रतनः यह सूचना नहीं है । ऐसा हिमाचल प्रदेश में सभी जगह हो रहा है। आप पंचायतों को संख्त निर्देश दें कि जो बी.पी.एल. में एक बार सलैक्ट हो जाता है, जब तक उसको ग्राम सभा द्वारा डिलीट नहीं किया जाता, उसके बी.पी.एल. के सारे राईट्स रहते हैं। बी.पी.एल. के सारे राईट्स उनको मिलने चाहिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, ---(व्यवधान)----

Speaker: Please sit down. कृपया आप लोग बैठिए। Be in order. Please keep order. श्री महेश्वर सिंह जी, आप बोलिए।

Prof. Prem Kumar Dhumal: Sir, we are walking out in protest against your attitude.

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए)

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि ग्राम सभा को अधिकार है, निश्चित रूप से अधिकार है। अगर ग्राम सभा में गणपूर्ति हो जाती और सही चयन होता तो फिर यह नौबत न आती और जो ये बार-बार कह रहे हैं कि एस.डी.एम. के पास अपील करने का अधिकार है, सत्यता यह है कि जब वहां कोई गरीब अपील करता है तो रैगुलर कोर्ट में जा कर उसको तिथियों पर तिथियां दी जाती है और हार कर वह कोर्ट में जाना ही छोड़ देता है। क्या इसमें आप इस प्रकार की कोई इंस्ट्रक्शन्ज़ देंगें कि जब कोई एस.डी.एम. के पास अपील करता है तो डे-टू-डे हीयरिंग करके उसको न्याय मिले। उनको तो गांव से बुला-बुला कर खर्चा करवाते हैं । वे गाड़ी से आते

हैं और उनको सिर्फ

11.03.2016/1125/केएस/एजी/3

अगली डेट देकर वापिस भेज दिया जाता है। वे कान पकड़ते हैं कि शिकायत करने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए क्या आने वाले समय में आप यह सुनिश्चित करेंगें कि ग्राम सभा में ही पटवारी जाए और वहां पर यह चयन हो । वहीं वह इन्कम सर्टिफिकेट दें और ग्राम सभा के बिना परित किए किसी का नाम नोटिफाई न हो? ऐसा आपको करना होगा । 13 साल बीत गए इस न्याय का इंतज़ार करते-करते और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? जिन्होंने एस.डी.एम. के ऑफिस में अपील की, क्या आपके पास वह आंकड़े हैं कि उसके बाद कितने डिलीट हुए और कितनों को न्याय मिला?

मंत्री जी, अ0व0 की बारी में-

11.3.2016/1130/av/as/1

प्रश्न संख्या : 2832 ---------- क्रमागत

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चिन्ता का विषय उठाया है और हम भी जानते हैं कि अगर ग्राम सभा के अंदर चयन ठीक से हो तो ऐसी वस्तुस्थिति पैदा नहीं होती है। हमने ग्राम सभा के चयन में प्रयास किया है कि इसकी वीडियोग्राफी की जाए तथा जहां इस प्रकार की घटना हो उसको रोकने का प्रयास भी किया जाए। दूसरा आपने कहा कि पटवारी जैसे वहीं पर है परंतु ग्राम सभा के अंदर जैसे मैंने कहा कि हम डिफरैंट डेट के अंदर ग्राम सभा करेंगे। जहां एस0डी0एम0 के पास रिव्यू के लिए अगर कोई मामले गये हैं तो उसके लिए सरकार की तरफ से एस0डी0एम0 को डायरेक्शन दी जायेगी कि समय रहते यानि उनको एक निश्चित समयावधि दी जायेगी कि उस समय-सीमा के अंदर उस प्रक्रिया का हल निकाले ताकि जिस बी0पी0एल0 परिवार ने अपील कर रखी है, उसका फैसला जल्दी-से-जल्दी हो।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की ओर से अपेक्षित उत्तर नहीं आया। मैंने आपके माध्यम से यह जानना चाहा था कि एस0डी0एम0 कोर्ट में कितने लोग अपील करके गये और उस आधार पर कितने डिलीट तथा नये एड हुए? अगर आपके पास यह सूचना अभी नहीं है तो क्या आप इसको सभा पटल पर रखेंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी है वह इनकी जानकारी के लिए सभा पटल पर रख दी जायेगी।

11.3.2016/1130/av/as/2

व्यवस्था का प्रश्न

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं और यहां बैठे दूसरे सदस्य यह जानना चाहते हैं कि विपक्ष ने किस बात को लेकर वॉकआउट किया है। हमें कारण का पता नहीं है। क्या इनका हाज़मा खराब है What is the reason? अभी माननीय सदस्य श्री संजय रतन ने प्रश्न पूछा था और वह भी इस सदन के सदस्य है तथा उसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे थे। क्या सत्ता पक्ष के विधायकों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है? विपक्ष के लोग किस बात को लेकर बाहर गये हैं? ये लोग बिना किसी कारण के बाहर गये हैं इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इनको आज का दैनिक भत्ता न दिया जाए। They don't deserve this. हर चीज़ में; छींक भी आये तो बाहर निकलते हैं। ये लोग आज घर जाना चाहते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि विपक्ष के नेता श्री प्रेम कुमार धूमल की अपने विधायकों के ऊपर पकड़ खत्म हो गई है। Nobody accepts his leadership. We want to be informed what is the reason? किस आधार पर, किस बात को लेकर, किस बात का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बाहर गये? हमें भी तो मालूम होना चाहिए कि ये लोग बाहर क्यों गये।

Speaker: I also don't know about it.

Chief Minister: You also don't know, Sir. Then we have to send prayers to the God to enlighten us about it.

Speaker: I have been giving more time to all the Members on this question because it is a very important question which touches the poorest of the poor in the State. I was listening to Member. The other Members were waiting for their turn but before they got their turn they just walked out. I could not know why they have walked out? I had not refused them to talk. I was giving ample time to them also. Anyway, that is their sweet will.

11.3.2016/1130/av/as/3

Chief Minister: Sir, House has right to know? The State has right to know? कि माननीय विपक्ष के नेता और उनके साथियों ने किस कारण या किस आधार पर सदन से वॉकआउट किया है। We must know about it? In my long parliamentary experience such a thing has never happened. ये समझते हैं कि वॉकआउट करना भी विधायक का एक काम होता है। यह रोज करना आवश्यक है। मैं ऐसे व्यवहार की सख्त भर्त्सना करता हूं और यह सदन का अपमान है।

11.3.2016/1130/av/as/4

अध्यक्ष : अगला प्रश्न संख्या - 2833 श्री जय राम ठाकुर जी करेंगे।

(अनुपस्थित)

अगला प्रश्न टी सी द्वारा जारी

प्रश्न संख्याः 2834

श्री मनोहर धीमानः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है, इसमें 'ख' भाग में दर्शाया गया है कि नदी तल पर खन्न की इज़ाजत एक मीटर तक दी जाती है। लेकिन कहीं खनिजों का अत्याधिक जमाव/ढ़ेर हो तो वहां समिति 2 मीटर तक अलॉव करती है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। वहां पर कहीं-कहीं 15-15 मीटर तक खुदाई की गई है। यहां विभाग के अधिकारी बैठें हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी?

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय,माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, इसमें एक तो इन्होंने पूरे प्रदेश में कितनी माइनिंग हो रही है, इसका आंकड़ा मांगा है? हालांकि यह बड़ा टफ काम है। पिछले 10 दिनों से सारे विभाग को मैंने इसी काम में लगाकर रखा और इस बारे में आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास किया कि हिमाचल प्रदेश में कितनी ज़मीन पर खन्न हो रहा है? इस समय प्रदेश के अन्दर 577 हैक्टेयर ज़मीन पर खन्न हो रहा है। यदि माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करते तो यह ज्यादा बेहतर होता क्योंकि ऐसे क्वैश्चन बहुत लैंथी हो जाते हैं और पूरा डिर्पाटमैंट इसमें इन्वाल्व हो जाता है।

दूसरा, जहां तक माइनिंग का सवाल है, इस समय प्रदेश में लगभग 309 क्रशर सैंक्शन्ड हैं। इनमें से 138 क्रैशर चल रहे हैं और 171 नहीं चल रहे हैं। पिछले कुछ अर्से से माइनिंग की प्रोब्लमज़ थी लेकिन अब वह सॉल्व हो गई है। केन्द्र से जो इन्वायरमैंट कमेटिज़ बननी थी, वह बन गई है और दोंनों कमेटिज़ ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अब केन्द्र सरकार ने 5 हैक्टेयर तक जो माइनिंग होनी है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटिज़ को दे दिया है। अब यह मसला डिस्ट्रिक्ट में चला गया है, जबकि पहले यह भारत सरकार के पास जाता था। इसमें 5 हैक्टेयर तक की परमिशन डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो जाएगी और 5 हैक्टेयर से 50 हैक्टेयर तक की परमिशन स्टेट लेवल पर होगी। यदि 50 हैक्टेयर से ऊपर का कोई मामला होगा तभी वह भारत सरकार को

परमिशन के लिए जाएगा। इसके अतिरिक्त इन्टर स्टेट की जो रिस्ट्रिक्शन थी, और बॉर्डर पर

11.03.2016/1135/TCV/AS/2

परमिशन देने में हमें रोक लगाई थी, वह भी भारत सरकार ने हटा दी है। इस तरह से अब माइनिंग में बहुत सरलीकरण हो गया है और जो लोग क्रशर /माइनिंग लीजिज़ लगाना चाहते हैं, वह आसानी से और बहुत जल्दी-जल्दी इनको लगा सकते हैं। इलीगल माइनिंग के रूल्ज़ बगैरह भी फ्रेम कर दिए गए हैं। इसमें 2 साल की कैद और 25 हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन पर भी फ़ाईन का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मान्य सदन को बताना चाहता हूं कि इस सदन में भी बहुत लोग माइनिंग के कारोबार में शामिल हैं और बहुत से लोगों के क्रशर/माइनिंग लीज़िज़ हैं। इसलिए डिर्पाटमैंट हमेशा ही जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इसके अलावा बहुत से क्रशर एक्स-एम0एल0एज़0 के भी हैं। मेरे पास एक लम्बी-चौड़ी लिस्ट है कि कौन-कौन से लोग सदन के और कौन-कौन से लोग सदन के बाहर के क्रशिंग का कार्य कर रहे हैं। इस तरह से यह सिर्फ चन्द लोगों का कारोबार नहीं है, इसमें बहुत प्रभावशाली और बहुत बड़े-बड़े साधन सम्पन्न लोग शामिल हैं। माइनिंग के बारे में बार-बार इस सदन में चर्चा आती है और चर्चा भी ऐसे-ऐसे सदस्यों से आती है, जिनके अपने क्रशर/लीज़िज हैं। ये लोग विभाग पर लगातार प्रैशर बनाते रहते हैं। इनमें किसी माननीय सदस्य के 2, 4 और किसी के 6 क्रशर्ज़ चल रहे हैं। इस तरह से यह लम्बी चौड़ी लिस्ट हैं लेकिन मेरा यह कहना है कि अब क्रशर लगाने आसान हो गये हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ दिल्ली गया था और हम श्री प्रकाश जावडेकर जी से मिले और उसके बाद 2 कमेटिज़ बनी।

श्री आर0के0एस0 द्वारा-----जारी

11.03.2016/1140/RKS/DC/1

प्रश्न संख्याः 2834...क्रमागत

उद्योग मंत्री द्वारा... जारी

श्री एस.एस. परमार, सीनियर आई.ए.एस. ऑफिसर्ज को एक कमेटी का हैड बनाया गया और दूसरी कमेटी का हैड मिस्टर निगम को बनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर्ज के पास इसकी पावर आ गई है। क्रैशर लगाना आसान हो गया है। इसका काम माइनिंग प्लान के मुताबिक चलता है। 1 मीटर या 2 मीटर कितनी माइनिंग हो सकती है , वह माईनिंग प्लान के मुताबिक होती है। जहां तक इन्होंने अपने निवार्चन क्षेत्र के बारे में कहा, इनके चुनाव क्षेत्र में निश्चित तौर से इस समय 24 क्रैशर बंद हैं, 39 क्रैशर सैंक्शन हैं। 12 के पास वैलिड सोर्स है, जिन्होंने परमिशन ली है, 3 पूरी तरह से बंद हैं और बाकि 24 इसलिए बंद हैं क्योंकि न तो इन्होंने पमारनेंट रजिस्ट्रेशन करवाई है और न ही उन्होंने मलबा उठाने के लिए किसी ओर तौर तरीके से परमिशन ली है। जब तक ये विभाग को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम इन्हें परमिशन नहीं देंगे। उन्होंने हमें इस ढंग से अप्लाई नहीं किया है। अगर वे वहां काम कर रहे हैं, तो मैं डिपार्टमेंट को डायरेक्शश्न दूंगा कि वे उनके खिलाफ एक्शन लें। अगर माननीय विधायक चाहते हैं कि उनके क्रैशर चलें और मीनरल की उपलब्धता हो तो हम उस तरीके से डायरेक्शन देंगे और आप चाहते हैं कि उन क्रैशरों को बंद करना है तो हम बंद करने के निर्देश दे देंगे।

श्री मनोहर धीमानः मैं क्रैशर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, इंडस्ट्री चलनी चाहिए। लेकिन जो किसान उजड़ रहे हैं, उनकी रक्षा करना सरकार का फर्ज है। गहरी माईनिंग के कारण सारे सार्स सूख चुके हैं। लोगों ने खेती करना छोड़ दी है। बागीचे सूख गए हैं। मेरा यह निवेदन रहेगा कि इसके लिए जो कमेटी बनाई जाए उसमें खनन विभाग का कोई व्यक्ति न हो। ऐसी कोई कमेटी गठित हो जो वहां जाकर सर्वे करे कि मैं ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? क्या मंत्री जी इस बारे में आश्वासन देंगे?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

11.03.2016/1140/RKS/DC/2

उद्योग मंत्रीः यह माननीय सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र है और आप हमें स्पेसिफिक

जानकारी दे दें कि फलां-फलां क्रैशर बंद करने हैं। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते रहते हैं और आपको लग रहा है कि वहां, कहीं पर गहरी माइनिंग हुई है तो उसकी लिस्ट हमें देकर, हम इसके विरूद्ध एक्शन करवा देंगे। अगर आप खुद पिक्चर में नहीं आना चाहते हैं तो हम एस.डी.एम. की अध्यक्षता में कमेटी भेज देंगे।

अध्यक्षः श्री किरनेश जंग।

श्री किरनेश जंगः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो 5 हैक्टयर से नीचे, डी.सी. महोदय के पास से क्लियरेंस की बात कही है। क्या वह इंस्ट्रक्शनज डी.सी. महोदय के पास डी.सी. ऑफिस में चली गई है या अभी भेजी जानी है?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, एन्वायरमेंट का विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के पास है और इन कमेटियों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं फैसला करते हैं। मेरी सूचना के मुताबिक माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दे दिए हैं कि 5 हैक्टेयर से नीचे की कमेटियां जल्द से जल्द फॉर्म कर दी जाए। इसकी डायरेक्शन भारत सरकार से भी आ चुकी है।

Speaker: Hon'ble Minister their reference is regarding illegal mining i.e. whether by the crusher holders or by the outsider illegal miners. Crushers are alright. Illegally they are mining something, but the mining which is done out of the way is causing irreparable loss to the area. They want to know about this.

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इलीगल माइनिंग बहुत लम्बी-चौड़ी डेफिनेशन है। यह ओपन वैल्थ है, सारे प्रदेश में पड़ी हुई है। इसमें समय-समय पर हमला होता रहता है।

11.03.2016/1140/RKS/DC/3

हमने 13 मार्च, 2015 को नए रूल फ्रेम कर दिए हैं। इलीगल माइनिंग के लिए 2 साल की कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना कर दिया गया है। इलीगल तरीके से जो भी काम करेगा उसको 50 हजार रुपए सीधा जुर्माना लग सकता है। क्वांटिटी को भी लिंक कर दिया गया है। इसमें 25 टन तक 10 हजार रुपया जुर्माना होगा, उससे ऊपर 400 रुपया, पर टन जुर्माना फिक्स कर दिया गया है। ट्रैक्टर का 4500 रुपया, ट्रक का 7,000 रुपया, 10 टन तक 10 हजार रुपया और उसके ऊपर 25,000 रुपया जुर्माना कर दिया गया है।

श्री एस.एल.एस.द्वारा ...जारी

11.03.2016/1145/SLS-DC-1

प्रश्न संख्या : 2834 जारी

माननीय उद्योग मंत्री ...जारी

स्टोरेज करने पर 25000 रुपये जुर्माना है। सेल प्राईस को भी इसके साथ जोड़ा गया है। इसमें काफी stringent rules बनाए गए हैं। फिर भी कोई स्पैस्फिक मामला किसी भी माननीय सदस्य द्वारा या किसी अन्य स्त्रोत से विभाग के ध्यान में आएगा, हम उसमें कार्रवाई करेंगे।

11.03.2016/1145/SLS-DC-2

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या : 2835 श्री बिक्रम सिंह जरयाल (उपस्थित नहीं)

प्रश्न संख्या : 2836 श्री ईश्वर दास धीमान (उपस्थित नहीं)

प्रश्न संख्या : 2837 श्री हंस राज(उपस्थित नहीं)

प्रश्न संख्या : 2838 श्री बिक्रम सिंह (उपस्थित नहीं)

11.03.2016/1145/SLS-DC-3

प्रश्न संख्या : 2839

श्री अनिरूद्ध सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा; नीति में जो दिनांक 18.11.2015 को बदलाव किया गया है, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में यह सोचा जाता है कि सरकार अपना रैवन्यु कैसे बढ़ाए। परंतु हिमाचल प्रदेश केवल एक ऐसा राज्य है जो अपना रैवन्यु घटा रहा है। जहां तक गाड़ियों के नंबरों की बात है, आप पंजाब में चले जाएं; कहीं भी किसी राज्य में चले जाएं, वहां पारदर्शिता के साथ ओपन ऑक्शन होती है ताकि रैवन्यु की क्लैक्शन हो सके। परंतु यहां पर 1-10 नंबर तक एक लाख रुपया रखा गया है। न केवल एक लाख रुपया रखा गया है बल्कि केवल सरकारी महकमें ही उस नंबर को ले सकते हैं। जो अधिकारी एक लाख रुपया अपनी सरकारी गाड़ी के लिए लगाएगा, उसमें पहली बात तो यह है कि वह सरकार का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, वह क्यों यह लाएबिलिटी अपने ऊपर लेगा? कोई भी प्राईवेट व्यक्ति इन नंबरों को नहीं ले सकता। फिर 11-100 नंबर तक एक लाख रुपया रखा गया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि दिनांक 18.11.2015 के पश्चात आज तक इसमें कितनी क्लैक्शन हुई और पिछले 4 महीनों में कितनी क्लैक्शन हुई है? मैं समझता हूं कि यही पब्लिक और गवर्नमैंट रैवन्यु इकट्ठा न होने का मुख्य कारण है। मंत्री जी, आपसे आग्रह है कि इस पौलिसी को रिवियु करके लाया जाए। जब भी कोई व्यक्ति नंबर लेने जाता है, मैं बताना चाहता हूं कि जो दी गई सूचना के सीरियल नंबर 3 और 4 है, 101-0999 तथा 1000-9999 हैं, इनमें 25000 और 5000 का प्रावधान है; सीरियल नंबर 3 में केवल 24 नंबर खोले गए हैं। सीरियल नंबर 4 में केवल 21 नंबर खोले गए हैं। ये नंबर स्पैस्फिाईड हैं; इनमें आई. लिखा गया है। इनके बीच के नंबर नहीं दिए जा रहे हैं। एक और बात मैं

आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि परिवहन विभाग के जो कलर्क हैं उनकी इस समय मोटी चांदी हो रही है। यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। वह लोग फाईल दबाते हैं और जब वह नंबर आता है तो उसमें 5000 रुपये भी नहीं लगते, फिर वह फ्री में कस्टमर को दिया

11.03.2016/1145/SLS-DC-4

जाता है। इसमें उनकी मोटी चांदी हो रही है, यह बात आपके ध्यान में लाना मेरा कर्तव्य है।

खाद्य, नागरिक आपूति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इन्होंने 1-10 नंबरों की बात की। यह रूल्ज में अमैंडमैंट करके किया गया है। क्योंकि ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आए थे कि 1 नंबर डिप्टी कमिश्नर या किसी मुख्य सरकारी अधिकारी का है। अगर वही 1 नंबर एक आम आदमी लेकर चला हुआ है तो ठीक बात नहीं है। नार्मली यह देखा जाता है कि यह वी.आई.पी. नंबर है और कई बार ऐसे नंबर के कारण व्यक्ति निकल जाता है। इसलिए कॉंशियस डिसीजन लिया गया और इसमें अमैंडमैंट करके 1-10 नंबर तक रोक दिए गए। यह केवल सरकारी अधिकारियों या सरकारी वाहनों पर ही लगेंगे; 1-10 नंबर के बीच के नंबर दूसरों को नहीं देंगे। 11 नंबर से ऊपर एक लाख रुपया रखा गया है। पहले एक लाख रुपया 1-10 नंबर का था। इससे रैवन्यु बढ़ेगा, कम नहीं होगा। दूसरी बात इन्होंने 5000 और 25000 रुपये की कही। पहले 5000 रुपये में सारे नंबर शामिल थे। वह पौलिसी अभी भी वैसी ही है। उसमें चांदी बनाने वाली कोई बात नहीं है। मैंने 3 महीने पहले इसमें ऑर्डर कर दिए थे।

जारी ..गर्ग जी

11/03/2016/1150/RG/AG/1

प्रश्न सं. 2839---क्रमागत

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री-----**क्रमागत,**

वह पॉलिसी मेरे ध्यान में आई थी कि यही नंबर हैं, एक नोटिफिकेशन में था कि यही नंबर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पुरानी नीति थी वह as it is नंबर मैंने आदेश किए हुए हैं और ये जो फैंसी नंबर हैं, इससे प्रदेश का राजस्व बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो एक से दस तक के नंबर सरकारी गाड़ियों के लिए आरक्षित किए गए हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी, हम विधायकगण के लिए भी इन नंबर्ज का प्रावधान कोई आरक्षण करके करेंगे? विधायकगण उसकी पेमेन्ट देंगे। श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने जो बात कही कि प्रदेश का राजस्व कम हो रहा है, तो यह वाकई सही बात है। इसमें पहले ऐसा होता था कि 5,000/-रुपये में कोई भी आदमी फोर डिजिट का नंबर जैसे 5555 के बजाय 5563 या 5562 नंबर लेना है, तो उसके लिए वह 5,000/-रुपये देकर ले सकता था। लेकिन अब जो नई नोटिफिकेशन है इसमें इसका कोई प्रावधान नहीं है। माननीय मंत्री जी क्या इसको भी रिवाइज करने के लिए सदन में आश्वासन देंगे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि तीन महीने पहले मेरे संज्ञान में यह बात आई थी, तो मैंने इसके ऑर्डर कर दिए हैं, it has already been implemented. जहां तक एक से दस नंबर तक विधायकों को देने की बात है, तो यह चर्चा का विषय हो जाएगा कि एक से दस नंबर दिए जाएं। अब जो आज विधायक हैं, कल को भूतपूर्व विधायक हो जाएंगे और सरकारी गाड़ी, सरकारी गाड़ी ही रहेगी। मैं नहीं समझता हूं।--(व्यवधान)---नहीं वह नुकसान किसका है? हर चीज सरकार सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करती, कई चीजें डिसिप्लिन के लिए होती हैं।

श्री संजय रतन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि एक से दस नंबर एक लाख रुपये में सरकारी वाहन के लिए रखा है। यह ठीक बात है। हमारे ज्वालामुखी में एक नया उप-मण्डल खुला। जब यह एक्ट लागू नहीं हुआ था, हमने

11/03/2016/1150/RG/AG/2

यह निर्णय लिया कि जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय खुलेंगे, सबको हम एक से लेकर दस तक गाड़ी के नंबर देंगे। एक-नंबर हमारे एस.डी.एम. की गाड़ी पर लगा, दो-नंबर हमारे टैम्पल ऑफिस की गाड़ी पर लग गया और इस बीच में हमारे यहां डी.एस.पी. ऑफिस खुल गया, तो हमने उसके लिए तीन-नंबर रखा हुआ था कि तीन-नंबर हम डी.एस.पी. की गाड़ी पर लगाएंगे। मगर जब गाड़ी आई, तो यह नया एक्ट आ गया। हमने उनसे कहा कि आप तीन नंबर ले लो, तो डी.एस.पी. ने कहा कि मेरी जांच हो जाएगी और ऑडिट ऑब्जेशन लग जाएगा कि आपने एक लाख रुपये देकर गाड़ी का तीन नंबर क्यों लिया? इसलिए यदि ये सरकारी नंबर रखना चाहते हैं, तो उनको फ्री कर दें, सरकारी गाड़ियों के लिए एक से दस नंबर तक फ्री होने चाहिए। सरकार का कोई भी मुलाजिम गाड़ी का सरकारी नंबर एक लाख रुपये देकर नहीं लेगा। क्योंकि उसके ऊपर कल को ऑडिट ऑब्जेशन आएगा। तो क्या माननीय मंत्री महोदय यदि एक से दस नंबर तक सरकारी नंबर रिजर्व रखना चाहते हैं, तो क्या उनको फ्री करेंगे? दूसरा, जैसा माननीय विधायक जी ने कहा कि विधायकों को भी उसमें पर्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। इसके बारे में भी मंत्री महोदय बताएं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब सिटिंग विधायकों की बात आई, तो बाद में गाड़ी छोड़कर तो कोई नहीं जाएगा, गाड़ी साथ लेकर जाएगा। वैसे यह एक नया पहलू सामने आया है, इसके ऊपर **कानूनी रूप से क्या हो सकता है,** we will look into it. ऐसा नहीं होता और सिस्टम से कानून से पूछना पड़ता है, कोर्ट में भी मामला रुक सकता है कि ये नंबर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। यदि एक नंबर को छः विधायक मांग लेते हैं, तो किसको दिया जाएगा? ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। दूसरी बात कही गई कि टैम्पल ऑफिसर या डी.एस.पी, तो कल को कहेंगे कि एस.एच.ओ. को भी एक नंबर चाहिए, सिपाही को भी एक नंबर चाहिए, तो वह बात नहीं होगी। ये अपने विभाग में भेजें और विभाग का ए.डी. डिसाइड करे कि किसको नंबर देना है, किसको नहीं देना है, देना है या नहीं देना है। वह नंबर देखकर

ले। सरकारी गाड़ी का मतलब यह है कि जो अधिकारी मेन-मेन हैं, उनको यदि ये नंबर चाहिए और वे यदि ऐसा समझते हैं कि हमें यह नंबर चाहिए,

11/03/2016/1150/RG/AG/3

तो सिस्टम में वह भी देखा जा सकता है कि किस अधिकारी को किस लेवल तक देंगे।

श्री संजय रतन : अध्यक्ष महोदय, कोई भी अधिकारी एक लाख रुपये जमा करके सरकारी गाड़ियों में नंबर नहीं लगवाएगा। क्योंकि कल को ऑडिट ऑब्जेक्शन लगेगा कि आपको ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी कि आपने चौइस का नंबर लेने के लिए विभाग का एक लाख रुपये जमा करवा दिया। इसलिए यदि आपने सरकारी गाड़ी के लिए एक से दस नंबर रखने हैं, तो उनको आप फ्री रखें। मेरा कहने का मतलब यह था।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि एक से दस नंबर खाली रखें। यह तो विभाग का राजस्व है और विभाग का राजस्व विभाग में ही आना चाहिए।

एम.एस. द्वारा जारी

11/03/2016/1155/MS/AG/1

प्रश्न संख्या:2839 क्रमागत----खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री-----

हम तो डिसकरेज कर रहे हैं कि 1 से 10 तक के नम्बर न लें परन्तु अगर किसी ने लेने हैं.., और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ऑक्शन करवाने हैं -(व्यवधान)-हर चीज की ऑक्शन नहीं होती है। कल को आप किसी भी चीज की ऑक्शन के लिए कहेंगे तो वह संभव नहीं है। परन्तु अध्यक्ष जी, जो यह पॉलिसी बनाई है, यह सोच-समझकर बनाई हुई है।

श्री राकेश कालियाः अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे सदन में कितने मिनिस्टर्ज हैं जिनकी तीन-तीन गाड़ियों में एक नम्बर लगा है? दूसरे, यदि इस योजना को लागू किया जाता है तो क्या वे अब अपने नम्बरों को सरेण्डर करेंगे? अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से मेरे घर के पास एक भट्ठे वाले, एक क्रशर वाले और एक उप प्रधान ने एक नम्बर लगा रखा है। तो आपकी जो मंशा है वह तो वही किल हो जाती है। इसलिए आप इस कानून को क्यों लागू करना चाहते हैं? जो सीटिंग विधायक हैं क्या आप उनके इंट्रस्ट को देखेंगे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष जी, अगर किसी की गाड़ी में एक नम्बर लगा है तो वह सरकारी वाहन है। अगर प्राईवेट व्हीकल पर लगा है...,

श्री राकेश कालियाः कितनी बी0एम0डब्ल्यू0 में और कितनी ऑडीज और अन्य गाड़ियों पर लगा है?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष जी, आज की क्या पॉलिसी है यह उसके हिसाब से है। जो आगे की पॉलिसी आएगी तो स्थिति उसके हिसाब से रहेगी। मैं किसी के नम्बर छिनने नहीं जा रहा हूं। अगर किसी ने यह नम्बर लगाया है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर मेरा नम्बर सरेण्डर करवाना है तो मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर ट्रांसफर होता है तो मैं अपना नम्बर सरेण्डर करने को तैयार हूं और आपको दे दूंगा। मेरी किसी भी गाड़ी में एक नम्बर नहीं है। मेरी एक गाड़ी का 2623 नम्बर है। अगर आपकी तसल्ली होती है तो मैं अपनी गाड़ियों के नम्बर पढ़ देता हूं। मगर कानून को कानून रहने दो।

11/03/2016/1155/MS/AG/2

अध्यक्षः प्रश्न संख्याः 2840 श्री बी0के0 चौहान(अनुपस्थित)

अध्यक्षः प्रश्न संख्याः 2841 श्री सुरेश कुमार (अनुपस्थित)

अध्यक्षः प्रश्न संख्याः 2842 श्री विनोद कुमार (अनुपस्थित)

11/03/2016/1155/MS/AG/3

प्रश्न संख्याः 2843

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसका विस्तृत उत्तर है और उसमें 12 पेज़िज़ हैं। परन्तु जब मैंने उसका अवलोकन किया तो एक कहावत चरितार्थ हो गई कि "खोदा पहाड़ निकला चूहा।" जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर नहीं आया और अगल-बगल की सारी बात कह दी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पहले तो यह जानना चाहूंगा कि जब उत्तर ही नहीं है तो इसको स्थगित करके क्या आप दुबारा उत्तर देंगे? क्योंकि "क" भाग का उत्तर तो है। उसमें कहा गया है कि जो गाड़ियां मार्किटिंग कमेटी को दी जाती हैं अथवा जिनको चेयरमैन चलाते हैं उनके ऊपर राइडर है। पहले मैंटीनेंस और डीजल का दो लाख रुपये का खर्चा था और बाद में दिनांक 9 मार्च, 2015 को बढ़ाकर के अब अढाई लाख रुपये कर दिया है। मैंने यह जानना चाहा था कि इससे ज्यादा किस-किस की गाड़ी चली है और उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई होगी? उसका उत्तर मौन है और साथ में एक लिस्ट लगी है कि इन्होंने इतनी तारीख से इतनी तारीख तक अनुमति ली। क्योंकि टूअर एम0डी0 से एप्रूव करवाना जरूरी है। एक तो इसको स्थगित करे। मैं मंत्री जी आपसे संरक्षण चाहता हूं। अध्यक्ष जी, इसका जवाब इसमें है ही नहीं। दूसरे, वहां ऐसा जंगल राज है कि वे टूअर को एप्रूव नहीं करवाते हैं और सीधा जो मार्किटिंग कमेटी में ऑडिटर बैठा है, वह इन बिलों को दनादन एप्रूव कर रहा है। क्या आप इस जंगल राज को समाप्त करने के लिए इस प्रकार के अधिकार के विरूद्ध भी कार्रवाई करेंगे? इसके अलावा जो आपके मैनुअल में लिखा है, उसके मुताबिक जिन्होंने एक्सैस गाड़ी चलाई और गलत तरीके से अपने बिलों का भुगतान करवा दिया, क्या उनसे रिफण्ड लेंगे और उनके विरूद्ध कार्रवाई करेंगे?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न किए

हैं जो मुझे समझ आए हैं। एक तो इन्होंने यह कहा है कि जो विभाग का उत्तर है यह किसी मतलब का नहीं है और इनकी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या किसी और डेट को दुबारा जवाब देंगे। दूसरा प्रश्न क्या प्रश्न था?

11/03/2016/1155/MS/AG/4

श्री महेश्वर सिंहः प्रश्न के "ख" और "ग" भाग का उत्तर ही नहीं है। आप बताइए कितने किलोमीटर गाड़ियां चलीं? कहां है इसका जवाब?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः उत्तर है, उत्तर क्यों नहीं है? इसका उत्तर अनुलग्नक- V (पांच) पर है।

श्री महेश्वर सिंह श्री जे0के0 द्वारा-----

11.03.2016/1200/जेएस/एएस/1

प्रश्न संख्याः 2843:-------**जारी**-------

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। अब समय भी समाप्त होने जा रहा है। कृपया इसको पोस्टपोन करके ज़वाब देने की कृपा करें क्योंकि यहां पर सूचना अधूरी है।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्ज़ा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमने तो इनसे विधान सभा में बैठते ही संरक्षण मांगा था कि आज आपका प्रश्न है, मैं आपसे बचूंगा नहीं। माननीय सदस्य यहां पर सूचना पूरी है।

प्रश्नकाल समाप्त

11.03.2016/1200/जेएस/एएस/2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप धारा (5) के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की संपरीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2013-14; और
ii. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186 की उप धारा (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन), संशोधन नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः.पीसीएच-एच(1)1/2015 दिनांक 28.10.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.11.2015 को प्रकाशित ।

11.03.2016/1200/जेएस/एएस/3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

i. समिति का 128वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 73वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है ; और
ii. समिति का 129वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 32वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है ।

11.03.2016/1200/जेएस/एएस/4

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी ।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16), समिति का 52वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्या 3.2 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर भी रखत हूं ।

11.03.2016/1200/जेएस/एएस/5

अध्यक्षः अब श्री राकेश कालिया, सभापति,जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2015-16),समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री राकेश कालियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2015-16),समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति का 21वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और
ii. समिति का 22वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है ।

11.03.2016/1200/जेएस/एएस/6

<u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः अब नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। अब श्री सतपाल सिंह सत्ती जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय वन मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री सतपाल सिंह सत्तीः अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अन्तर्गत जिला ऊना के "गोंदपुर जयचन्द में वन तस्करों को पकड़ने गए वन अधिकारियों व कर्मचारियों पर हुए जानलेवा हमले" से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना

चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की जो ख्याति पूरे हिन्दुस्तान में और विश्व मे है वह अपने सौन्दर्य के कारण है,वहीं हिमाचल प्रदेश जो हरा-भरा है उसके कारण है। हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रदेश में वन काफी लम्बे समय से हमारे बुजुर्गों ने, हमारी सरकारों के प्रयासों के कारण सरंक्षण के अन्तर्गत उनको बचाया जाता है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में मौसम भी अच्छा रहता है और पर्यावरण भी ठीक है। यहां पर बर्फबारी भी होती है और जिसका लाभ हमें जो बड़े-बड़े डैम्ज़ लगे हैं उसमें पानी के रूप में मिलता है और वह पानी पूरे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक जहां पानी के लिए उपयोग होता है वहीं पर हरित क्रांति उन प्रदेशों में आई है तो उसमें भी हिन्दुस्तान में हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। अध्यक्ष महोदय, अभी देखने में आया है वर्तमान सरकार के अन्तर्गत वनों की ओर वन मंत्री का या विभाग का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। पहले भी चम्बा का मुद्दा हमारे सामने आया था। वहां पर वन काटे गए। तारादेवी का मुद्दा हमारे सामने आया। मुख्य मंत्री जी बहुत बार इन बातों के सम्बन्ध में अपना बयान भी देते हैं कि यह हमारी धरोहर है जिसको हमें बचा के रखना चाहिए लेकिन उनके

11.03.2016/1200/जेएस/एएस/7

साथी इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, विशेष कर वन मंत्री जी, जो कि यहां पर बैठे हैं। ऊना में पहले ही काफी कम वन हो गए हैं। वहां पर सड़कें बहुत ज्यादा है । पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अभी वहां पर फोर लेन,डबल लेन रोड़ज बन रहे हैं। जो वास्तव में जंगल हैं उन्हीं में पेड़ बचे हैं। मुख्य मंत्री जी ऊना जाते हैं आपने देखा होगा कि फोर लेन के कारण जो हमारा मेन रोड़ है उसमें भी सारे के सारे पेड़ कट गए हैं। यानि सड़कों पर किसी समय बहुत अच्छे पेड़-पौधे होते थे, लेकिन अब सड़के फोर व डबल लेन होने के कारण वे कट रहे हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----------

11.03.2016/1205/SS-AS/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती ...क्रमागतः

उसकी ओर तो कोई ध्यान नहीं देता कि दोबारा से पेड़ लगाये जाएं। वहां तो क्या करना लेकिन जंगलों की ओर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऊना जिला में एक बहुत बड़ी घटना 19 फरवरी को घटित हुई है। शायद वह मुकेश अग्निहोत्री जी का गोंदपुर जयचन्द गांव है। जहां तक मैं जानता हूं वहां पर दो गांव हैं। एक गोंदपुर जयचन्द और दूसरा गोंदपुर बुल्ला। शायद गोंदपुर जयचन्द मुकेश जी का गांव है। उस गांव के जंगल में वन काटुए काफी लम्बे समय से जंगल का कटान कर रहे थे। ऊना जिला में अनेकों जगहों पर ऐसी घटनाएं होती हैं और पूरे प्रदेश में भी हो रही हैं। विभाग सतर्क था। किसी ने सूचना दी और विभाग वहां पर गया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ऐसी हो गई है कि बाकी प्रदेशों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी बड़े ऑफिसर के ऊपर अटैक किया गया। अखबार में बहुत ज्यादा मुद्दा आया। वहां पर रेंजर, डिप्टी रेंजर, वन रक्षक और अन्य कर्मचारियों के ऊपर रॉड/डंडों से हमला किया गया। उनकी गाड़ी को तोड़ा गया। अगर आप गाड़ी की फोटो देखेंगे तो पांच-पांच किलो के पत्थर गाड़ी के अंदर शीशे तोड़कर पड़े हुए हैं। इससे पता लगता है कि वहां पर किस तरह का पत्थराव हुआ। अगर वे भागते नहीं तो शायद वहां पर कोई व्यक्ति जिन्दा नहीं रहता। उन अधिकारियों के मोबाईल तक छीन लिये गये। यह सारा मीडिया ने बताया। मोबाईल छीनने में लोगों को इन अधिकारियों तक जाना पड़ा होगा। बड़ी संख्या में वे लोग होंगे। ऐसा मीडिया में आया कि रेंज अधिकारी समेत 9 अन्य लोगों को चोटें आई हैं। सारे लोग हॉस्पिटल में दाखिल हुए। तीन-चार दिन तक उनके मोबाईल नहीं मिले। यहां तक कि उनकी वर्दियां भी फाड़ दी गई। गाड़ी उनकी तोड़ दी गई। उसके बाद सरकार का जो ढिल-मुल रवैया है, अगर इस तरह का रवैया चलता रहेगा तो कोई भी जंगल नहीं बचेगा और जंगलों के बाद लोगों की कोई हिफाज़त नहीं कर पायेगा अगर हम ऐसे वन काटुओं के ऊपर रोक नहीं लगायेंगे। कभी एक गिरफ्तार हो रहा है जैसे वे चम्बल के डाकू हैं जोकि पकड़े नहीं जा रहे हैं। वहीं उनका गांव है, वहीं उनका घर है। मैं मानता हूं कि बॉर्डर एरिया है एक-आध व्यक्ति पंजाब से भी संलिप्त होगा। दूसरे-तीसरे दिन आया कि एक व्यक्ति

गिरफ्तार हो गया। फिर दो दिन बाद आया कि एक और व्यक्ति गिरफ्तार हो गया। धीरे-धीरे यह आना भी शुरू हुआ कि अंतिम व्यक्ति भी गिरफ्तार हो गया। यानी तीन लोग गिरफ्तार हो गये। अध्यक्ष महोदय, मैं वन मंत्री

11.03.2016/1205/SS-AS/2

और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब 9 लोगों को चोटें आईं तो क्या फिर तीन लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया? जब 9 लोग घायल हुए तो उन लोगों को गांव वालों ने और ऊना से पुलिस ने हॉस्पिटल में पहुंचाया। गाड़ियां उनकी तोड़ दी गईं। मंत्री महोदय, इस ओर ध्यान दें कि जितने लोग दोषी थे, अखबारों/मीडिया में आया कि उनके परिवार के बच्चे, महिलाएं सब लोग संलिप्त थे। एक बहुत बड़ा गिरोह था, जिन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। अगर 9 लोगों पर दो-तीन लोग अटैक कर दें तो मुझे नहीं लगता कि वे ऐसी हिम्मत करते और रात को लकड़ी छोड़कर भाग जाते। एक बहुत बड़ा ऐसा गिरोह सब जगह चला हुआ है। हमारे साथ पंजाब लगता है वहां पर एकदम लकड़ी, रेता और बजरी इत्यादि छोड़नी आसान है, वहां पर ज्यादा रेट मिलते होंगे। यह लम्बे समय से वहां पर काम चला हुआ है। इसलिए मीडिया ने जो बताया कि महिलाएं, बच्चे सब संलिप्त थे, मैं वन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मात्र तीन लोग ही उसमें संलिप्त थे? यह कैसे सम्भव है कि तीन लोगों ने नौ लोगों को घायल कर दिया? इतना हौंसला उनका हो गया कि मोबाईल छीन कर ले गये। वर्दियां फाड़ दी गईं और गाड़ियां तोड़ दी गईं। इस तरह से हिमाचल प्रदेश में अन्य जगहों पर भी हो रहा है। ऐसी ही बड़ी घटना चम्बा और तारादेवी की सामने आई थी। उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमारे छोटे-छोटे जंगलों में भी इस तरह के लोग खैर की लकड़ी काट रहे हैं। मीडिया के माध्यम से ध्यान में आया कि आज से सौ-सौ साल पुराने आम के पेड़ उन्होंने काट लिये। आजकल उनको फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन वे इतने बेईमान और चोर हो गये हैं कि उन लोगों ने बड़े-बड़े पुराने पेड़ जो गांवों में होते हैं काट कर कहीं पहुंचा दिये। बाद में जब एस्टीमेट लगा तो वह ढाई-तीन लाख की लकड़ी निकली। मैं यह मानकर चलता हूं कि कोई व्यक्ति गलती करके घर के लिए लकड़ी ला सकता है। लेकिन जो व्यक्ति एक रात में ढाई लाख की लकड़ी काट रहे हैं, न यह उनकी पहली घटना होगी और न अंतिम घटना होगी, वे वहां पर परमानैंट तस्कर हैं। आज तक उन

लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरा मुकेश जी से भी आग्रह रहेगा कि इस तरह के लोगों के हाथ में वोटें नहीं होती हैं इनसे हमें बदनामी ही होती है। हम सब आप लोगों को बाद में इसे भुगतना पड़ता है। हमने देखा है कि इससे कोई लाभ नहीं होता है। हमने 13 सालों में किसी को भी शैल्टर नहीं दिया। हम भी आपके साथ इसी सदन के बीच में बैठे हैं। शैल्टर देने वाले भी यहीं है और शैल्टर न देने वाले भी यही हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

11.03.2016/1210/केएस/डीसी/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी---

जनता दोनों के साथ भी चलती है, ऐसा भी मैं मानता हूं लेकिन अच्छा काम करके यहां पर बैठेंगे तो कम से कम आपको संतुष्टि होगी। इस तरह के लोग जो जंगलों में आतंक फैलाए हुए हैं । मुकेश जी के चुनाव क्षेत्र के साथ एक कंडी एरिया पड़ता है लगभग गढ़शंकर से पठानकोट तक जाता है जो पंजाब में भी बारीश देता है और हमारे क्षेत्र में भी बारीश देता है। वहां पर जो मुझे जानकारी मिली है, यह लकड़ी लगभग 10-12 लाख रु0 की थी, फोरैस्ट वालों ने तो कम ही आंकनी थी लेकिन लकड़ी तो 3 लाख की भी बहुत है। इससे पहले कितनी लकड़ी वहां से कट करके गई है, क्या मंत्री महोदय इस बारे में वहां कोई इन्क्वायरी करवाएंगें? क्या वहां किसी इंडिपैंडैंट ऑफिसर को भेजेंगें? दमदार ऑफिसर को वहां भेजो क्योंकि मुझे नहीं लगता अब जंगलों में कोई अकेला जाएगा जब इतना बड़ा अटैक हो गया। उन्होंने कहा है, स्ट्राईक भी की है कि जब तक हमें कोई शस्त्र या गाड़ियां नहीं दी जाएंगी तब तक हम अब जंगलों में नहीं जाएंगें।

अध्यक्ष महोदय, ये तस्कर परमानैंट तस्कर हैं जो वहां के लोग बताते हैं। यह उनका आज का काम नहीं है। वे रोज़ पेड़ काटते हैं। सौ पेड़ों की परमिशन लेंगें और 100 कनाल में जंगल काट देंगें। गरीब लोगों का भी काट देंगें, सरकार का भी काटते हैं। प्राईवेट का भी काटते हैं और लोग इनके आगे बोलते नहीं है। मैं वहीं की बात नहीं

करता ऐसे और जगह भी बहुत से लोग होंगें। ऊना में भी होंगें, अनेकों जिलों में होंगें। हम तस्करों को संरक्षण देने वाले लोग नहीं है। हम जनता को संरक्षण देते हैं। अगर विभागों ने ही पूरी सरकारें चलानी होती तो नेताओं को कोई काम नहीं था। हमारे ऊपर जनता का प्रैशर है और हमारा प्रैशर जो वहां के अधिकारी हैं, गड़बड़ करते हैं, उनके ऊपर होता है। लेकिन वहां तो अच्छा काम करने वाले मारे गए। उनके परिवार है अगर उनमें से कोई मर जाता तो उनके परिवार पर क्या बीतती। अनेकों लोगों ने बताया है कि सारे जंगल में लगभग पिछले काफी समय से करोड़ों रु0 की लकड़ी कट कर गई है। रोज़ 8-10 ट्रक वहां से जाते हैं । इस घटना के ऊपर

11.03.2016/1210/केएस/डीसी/2

विशेष रूप से वन मंत्री जी ध्यान दें और वहां के जो नुमाइंदे हैं कई सालों से हमारे साथ विधान सभा में है और वर्तमान में उद्योग मंत्री भी है, मेरा इनसे भी आग्रह रहेगा, इनका गांव है, यह आपके लिए भी एक चुनौती है कि मेरे गांव में मेरी सरकार के होते हुए, मेरी ही सरकार के कर्मचारियों के ऊपर आक्रमण हो जाए और मेरे गांव में 10-20 लोग अटैक करें और तीन लोग ही गिरफ्तार हो । यह मेरे लिए भी चुनौती है क्योंकि इन लोगों के ही अकेले वोट नहीं होते हम 30-30 हजार वोट लेते हैं और इनके हाथ में तो केवल 200-400 वोट होंगें1 यह अधिकारियेां की सुरक्षा का मामला है। सरकार की इज्जत का मामला है और प्रदेश में पर्यावरण को बचाने के लिए जंगलों को बचाने के लिए, हिमाचल हरा-भरा रहे, हिमाचल आगे बढ़े, यह हिमाचल की धरोहर है । जंगल ही हमारी धरोहर है, बाकी हमारे पास क्या है? बाकी तो सारा पावर प्रोजैक्ट्स है, पर्यटन है और पर्यटन पर्यावरण के कारण है। अगर हमारे यहां भी धूल उठेगी, पर्यावरण ठीक नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता पर्यटक यहां पर आएंगें। इसलिए हमने वन मंत्री जी के ध्यान में यह मामला लाया है और इस पर सरकार उचित कार्रवाई करें और जो अन्य दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करें । वे चाहे बच्चे हैं या महिलाएं हैं, सबको गिरफ्तार

करना चाहिए और परिवार के लोगों को भी पता लगना चाहिए कि मेरे घर का मुखिया अगर कोई गलत काम करता है और अगर कोई महिला या उसके बच्चे उसका साथ देते हैं और हम उनको इसलिए छोड़ दें कि महिलाएं हैं या बच्चे हैं तो आने वाले समय में जो बच्चे आज अपने बाप के साथ जंगल में जा कर लकड़ी काट रहे हैं, वे भी तस्कर ही बनेंगें। वे कोई इंजीनियर, डॉक्टर या नेता नहीं बनेंगें क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा होगा कि किस तरह से एक ही रात में हम 10 लाख की लकड़ी चोरी कर देते हैं । जो तनख्वाह हम साल में लेते हैं, वे एक ही रात में उतने पैसों की लकड़ी चोरी कर देते हैं। इसलिए मैं वन मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता था और इनके ध्यान में आया भी होगा लेकिन प्रशासन ने जो वहां पर ढिल-मुल रवैया अपनाया, सरकार के जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने जिस तरह से गोलमोल बयान देने शुरू किए हैं और उन तस्करों को जिस तरह से बड़े माफिया

11.03.2016/1210/केएस/डीसी/3

के रूप में प्रचारित करने की कोशिश की है, गिरफ्तार हो गए वनकाटू। वह तो चार घंटे में गिरफ्तार हो सकते थे। ज्यादातर उसी गांव के रहने वाले थे, गढ़शंकर के रहने वाले थे। सब जानते हैं कि वे कौन है लेकिन उनको समय दिया गया, उनको छोड़ा गया और आप कल्पना करो अधिकारियों के मोबाईल चार दिन के बाद वहां पर मिले हैं। चार दिन के बाद उनसे मोबाईल लिए गए। अगर इस तरह से हिमाचल प्रदेश में होगा तो मुख्य मंत्री महोदय भी यहां बैठे हुए हैं, आप समय-समय पर पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं, आप सारी चीज़ जानते हैं । तो आप भी इसकी ओर विशेष ध्यान देंगें और वन मंत्री जी से मेरा आग्रह रहेगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

श्री सतपाल सिंह सत्ती--------- जारी

वन मंत्री जी, आप एक ऐसे क्षेत्र से सम्बंध रखते हैं जहां पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं तथा चम्बा जिला जंगलों से भरपूर एक हरा-भरा क्षेत्र है। मगर जिस प्रकार से वन मंत्री जी के होते हुए घटनाएं हो रही हैं, मैं मानता हूं कि ये नई नहीं है मगर इन घटनाओं में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लोगों को किसी प्रकार का डर नहीं रहा है। लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि उनको सरकार का ही संरक्षण है। हम जब इस पर कार्रवाई करेंगे तो उसके लिए बहुत बड़े प्रूफ की जरुरत नहीं होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप इस ओर उचित ध्यान दें। जिन लोगों को चोट आई है या जिन पर अटैक हुआ है उनकी ठीक ढंग से हौसलाअफजाई भी हो क्योंकि उन्होंने वहां पर रात को जाकर कार्रवाई की है। भविष्य के लिए यह भी सुनिश्चित करें कि उनको क्या हथियार देने हैं, किस प्रकार की गाड़ियां मिलनी है ताकि वन माफिया हमारे अधिकारियों से डरे न कि हमारे अधिकारी तस्करों से डरें। चाहे कोई भी विभाग हो; वह सरकार का नुमाईंदा होता है। जब रेंजर वहां पर गया तो वह आपका नुमाईंदा था। वहां पर जो भी विभाग के लोग गये वे सारे मंत्री के नुमाईंदे थे, इस सरकार और मुख्य मंत्री के नुमाईंदे थे। कोई भी पुलिस वाला अगर ड्यूटी पर जाता है तो वह होम मिनिस्ट्री का नुमाईंदा होता है और किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे पुलिस वाले के ऊपर पत्थराव करें। हमारे रेंजर पर हाथ डालने की किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अगर डालता है तो उसको नतीजा भुगतना पड़ेगा, सरकार का असर होना चाहिए। तस्करों को सरकार का डर होना चाहिए और ईमानदार लोगों को हौसला होना चाहिए, वही सरकार होती है। धन्यवाद।

11.3.2016/1215/av/dc/2

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे रैफर किया है इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने यहां पर ऊना जिला के गोंदपुर जयचन्द में हुई वारदात का उल्लेख किया है। ये जानते हैं और मैं इनको बताना भी चाहूंगा कि इस गांव में मैक्सिमम जमीन हमारे परिवार की है तथा ये जंगल भी हमारे परिवार के हैं। हम तो खुद भुगतभोगी हैं जिनके जंगल काट दिए गए हैं। जिनकी जमीन से लकड़ी काटी गई हम तो उसमें शामिल है इसलिए लगातार यह कहना ठीक नहीं है कि उनको कोई संरक्षण था। जब जंगल ही हमारी जमीन का काट दिया गया फिर हमला तो हमारे ऊपर हुआ है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों पर अटैक हुआ है उसके बारे में मैंने वन विभाग को डायरैक्शन दी थी और पुलिस को भी मैंने सूचित किया कि वहां की इस प्रकार की सूचना मिली है। अगर आप उसको देखें चाहे आप वहां मेरे साथ चलें, वहां पर हमारी सारी जमीन वीरान कर दी गई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम तो खुद भुगतभोगी है। माननीय मंत्री जी इस बारे में जो भी कहें (---व्यवधान---) ऐसा नहीं है। मैंने तो आज दिन तक वहां पर कोई पौधा नहीं उगाया और न ही मैंने वहां पर आज तक कोई फसल उगाई है। वह सारी जमीन हमारी है मगर उस जंगल पर केवल आज नहीं बल्कि पिछले 50 वर्षों से लगातार अटैक हो रहा है। सतपाल सिंह सत्ती जी ऐक्शन के बारे में जो कहें; मगर यह कहें कि किसी का संरक्षण है तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जब मेरे अपने जंगल से लकड़ी काटी गई तो संरक्षण किस बात का हो सकता है।

11.3.2016/1215/av/dc/3

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। जिस समय चम्बा का मामला आया था तो आशा जी ने कहा था कि मेरे पेड़ काट दिए। अब ऊना का मामला आया तो अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि मेरे पेड़ काट दिए।

जब आपके ही पेड़ सुरक्षित नहीं हैं तो आपकी सरकार क्या कर रही है? यहां पर मंत्री जी बैठकर क्या कर रहे हैं? आशा जी ने उस समय कहा था कि मेरे सौ पेड़ काट दिए। मंत्री जी जानते हैं, उसके बाद पता नहीं वे क्यों चुप हो गईं? अब मुकेश जी कह रहे हैं कि मेरे जंगल काट दिए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप सरकार में किस लिए हैं? आप हमें दे दो; आपके जंगल भी बचा देंगे और आपकी सुरक्षा भी कर देंगे। आपसे सरकार ही नहीं चलाई जा रही है।

उद्योग मंत्री : इससे पहले आपकी पार्टी की सरकार थी। उस समय भी वहां पर इसी प्रकार से जंगल कटते थे।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : आप पूरे पांच साल का एक बयान बता दो कि जंगल काटे गये और उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आप वहां पर विधायक होते हुए क्या कर रहे थे? मेरे एरिया में कोई काट के बताए तब चाहे बी0जे0पी0 का राज हो या कांग्रेस का राज हो। (---व्यवधान---) कमाल है, हिम्मत है किसी तस्कर की।

उद्योग मंत्री : ऐसा है, वहां पूरे एरिया पर उन लोगों का कब्जा है। यह गांव पंजाब बोर्डर पर तैनात है। गांव में ऐंटर करते ही उसके सौ मीटर की दूरी पर पंजाब का एरिया पड़ता है बल्कि सौ मीटर की दूरी भी नहीं है। इसलिए वहां पर पंजाब के तस्कर लगातार इनवॉल्व रहते है।

टी सी द्वारा जारी

11.03.2016/1220/TCV/AG/1
उद्योग मंत्री -----जारी

यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और यह हम पिछले 50 साल से देख रहे हैं। मैं तो अभी 13 साल से वहां गया हूं लेकिन ये इतने सालों से केसिज़ चल रहे हैं। आपके टाईम में भी

यही होता रहा है। लेकिन ये निश्चित तौर तस्करों का गिरोह है और इन पर ऐक्शन होना चाहिए। आपके इस प्रस्ताव से हो सकता है कि हमें भी इन तस्करों के गिरोह से निज़ात मिल जाये।

श्री सतपाल सिंह सत्तीः माननीय मंत्री जी, मैंने यह नहीं कहा, मैंने तो यह कहा है कि यह आज से नहीं हो रहा है लेकिन इसमें बहुत बड़ी बढ़ौतरी हुई है। दूसरे, आप इस तरह बात कर रहे हैं जैसे वहां खैर लकड़ी चोर नहीं, बल्कि वीरप्पन आ गया है या कोई बहुत बड़ा तस्कर आया गया है जो जंगल में घुस जाता है और पकड़ा नहीं जाता है। आप तो यहां ऐसे बोल रहे हैं, जैसे यहां पर कोई तस्कर है और कोई न कोई मुझे मार देगा। कोई हमारे एरिए में जंगल काट कर बताएं, चाहे आपका राज हो या कांग्रेस का राज हो। हम जनता के नुमाईंदे हैं। ये तो आपके गांव में हुआ, अगर मेरे गावं में जंगल कटा होता तो मैं रात को 12 बजे वहां पर पहुंचता। (---व्यवधान---) ।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसके साथ पंजाब का बॉर्डर है इसलिए यहां से पेड़ निकालना उनको आसान हो जाता है। (---व्यवधान---) मैं इसमें यह नहीं कहना चाहता हूं कि आपके लोग शामिल है या हमारे लोग शामिल है।

श्री सतपाल सिंह सत्तीः यदि इसमें हमारे लोग शामिल है तो आप उनको पकड़ो और उनको जो सज़ा देनी है वह दो। (---व्यवधान---) इसमें हमारे एक-आध परसेंट लोग होंगे बाकी सब 99 परसेंट कांग्रेस के लोग हैं। जितने भी माफिया है, वह सारे कांग्रेस के लोग हैं। (---व्यवधान---) । मैं जानता हूं कि जब बूथ लगता है तो बूथ के ऊपर वह क्या गुड़ांगर्दी करता है जिसको अरेस्ट करने के लिए आपने 4 दिन दिए। इसलिए मेरा यह कहना है कि जो जैनुअन काम है, वह होने चाहिए। हम इन तस्करों के कारण यहां सदन में नहीं बैठे हुए हैं। हम आम जनता, गरीब और

11.03.2016/1220/TCV/AG/2

शरीफ लोगों के कारण यहां पर बैठे हुए हैं। (---व्यवधान---) । मुकेश जी आप बार-बार

अपने ऊपर ले रहे हैं। (---व्यवधान---)।

उद्योग मंत्रीः वहां पर पेड़ कटे हैं। वहां पर एस्केप रूटस हैं और हम उसके भुक्तभोगी हैं। वे पेड़ सरकारी ज़मीनों से नहीं काट रहे हैं वे तो पेड़ लोगों की ज़मीनों से काट रहे हैं।

श्री सतपाल सिंह सत्तीः यह तय हो गया है कि मंत्रियों के जंगल भी नहीं बच रहे हैं तो बाकी जनता का क्या हाल होगा? मैं तो इतना ही बताना चाहता था, बाकी सरकार की हालत क्या है यह जनता देख लें?

उद्योग मंत्रीः आप कहते हैं कि उनको हमारा संरक्षण है। मैं तो यह बता रहा हूं कि ज़मीने वहां पर हमारी है।

11.03.2016/1220/TCV/AG/3

वन मंत्रीः दिनांक 18.02.2016 को सायं 8 बज़े रेंज़ अफ़सर ऊना को वन खंड अधिकारी कुगडत ने सूचित किया कि उन्होंने गोंदपुर जयचंद माजरा वैहली नज़द वेलदार बस्ती के नज़दीक अवैध लकड़ी ले जाते हुए ट्रक नम्बर एच0पी0-72-2577 को अन्य वन कर्मचारियों की सहायता से रोक रखा है तथा साथ ही ट्रक के पास कटी हुई लकड़ी के मोछे भी पड़े हुए हैं। जिसके उपरान्त वन परिक्षेत्र अधिकारी, ऊना रेंज व अन्य कर्मचारियों सहित सरकारी गाड़ी एच0पी0 20बी-9361 द्वारा मौके पर पहुंचे। जैसे ही अवैध कटी हुई लकड़ी बारे वहां उपस्थित लोगों से पूछताछ शुरू की तो गांव वासियों ने वन विभाग के स्टाफ पर अन्धाधुन्ध पथराव एवं मारपीट प्रारम्भ कर दी।

श्री आर0के0एस0 द्वारा-----जारी

11.03.2016/1225/RKS/AG/1

वन मंत्री द्वारा ....जारी

इस मारपीट में वन खंड अधिकारी, श्री पवन कुमार, कुगडत ब्लॉक को छाती एवं पेट पर पथराव एवं लाठियों की वजह से काफी चोटें आई और उस का ईलाज क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में दाखिल करवा कर दिनांक 27.02.2016 तक चलता रहा। इस के अलावा वन परिक्षेत्र अधिकारी, ऊना, श्री राजेश ठाकुर, सरकार गाड़ी के चालक श्री रमेश चन्द, वनरक्षक सर्वश्री सुनील कुमार, अनन्त राम, संजीव कुमार, चौकीदार श्री हरिओम व सुभाष चन्द वन माली को भी गम्भीर चोटें आई हैं। इसी दौरान सरकारी गाड़ी एचपी 20 बी-9361 जिस में बैठकर वन विभाग का स्टाफ मौका पर पहुंचा था। वहां काफी संख्या में लोग थे। वहां तकरीबन 100 मुस्लिम लोगों की बस्ती है। उन्होंने यह हमला किया। विभागीय सूचना के मुताबिक ये लोग कई दशकों से वन तस्करों में शामिल हैं। इसके ऊपर वाहे-गवाहे जब भी वन विभाग को सूचना मिली है तो आपने देखा होगा कि ऊना से आगे जहां हमारी नर्सरी है वहां 50 गाड़ियां पकड़ कर बाऊंड की गई है। इनमें ट्रक भी हैं और दूसरी गाड़ियों में तारपीन, बेरोजा और जंगल की लकड़ी भी पकड़ी है। हालांकि मुझे कई राजनीतिक और दूसरे लोगों के टेलीफोन आए परन्तु मैंने उन्हें संरक्षण नहीं दिया। उद्योग मंत्री जी की इसमें कोई इन्वॉलवमेंट नहीं हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ऐसी तस्करी कर रहे हैं They should not be spared. अगर इनका साथी और आपका साथी भी ऐसी तस्करी करता तो हम उससे कोई कम्परोमाईज नहीं करते। हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये जो इन्होंने घिनौनी हरकत हुई है उसके विरूद्ध पुलिस डिपार्टमेंट में, मैंन डी.जी.पी. साहिब को टेलीफोन किया। डी.जी.पी. ने तुरन्त एस.पी. ऊना को टेलीफोन किया। मैंने पर्सनली एस.पी.ऊना से बात की। मुकेश जी जो वहीं थे मैंने उनसे भी बात की। फॉरैस्ट वालों से बात की। एफ.आई.आर. लॉज हुई उसके बाद उनके विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई गई।

जहां तक कहते हैं कि वे बहुत बड़े स्मगलर है, वहां जंगल नहीं है, सड़कें बहुत हैं उनको पकड़ना मुश्किल है। 4 लोगों को पकड़ा गया है और हम इन्क्वायरी कर रहे हैं। अगर इसमें कोई संलिप्त होगा तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी उनके विरूद्ध सख्त

कार्रवाई करने के निर्देश

11.03.2016/1225/RKS/AG/2

दिए हैं। It should not be there. जहां तक आपने चम्बा की बात की है, उसमें पेड़ों को कटवाने की साजिश आपके लोगों की थी। उसमें हमारे लोग नहीं थे। उसमें न मेरे पुत्र का संरक्षण था, न ठाकुर सिंह भरमौरी का और न ही राजा वीरभद्र सिंह जी का था। इसमें आप लोग साजिश करके वन मंत्री और सरकार को बदनाम करना चाहते थे। आप कहते हैं कि पूरे प्रदेश में इल्सिट फैली हुई है। इन 3 सालों में 4 इन्सटांस हुए हैं। आपके जमाने में हर कुछ होता था। मैं यहां दोहराना नहीं चाहता हूं। जो आपने किया, उसको खामियाजा आप भुगतेंगे और जो हमने किया उसकी सज़ा हमें लोग देंगे। हम तो सज़ा दे रहे हैं। हमने उनके विरूद्ध कोर्ट में केस किया है। उनके विरूद्ध कार्रवाई हो रही है। जहां तक यहां की बात है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें किसी का कोई संरक्षण नहीं है। मैं तो भेड़-बकरी पालक हूं, जब जंगल कटता है, मुझे आग लगती है और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी लगती है कि जंगल नहीं कटा जाना चाहिए। जैसे एक इंसान का कत्ल होता है वैसे ही मैं ग्रीन दरख्त का कत्ल समझता हूं। I will not allow this practice for future.

श्री एस.एल.एस.द्वारा जारी

11.03.2016/1230/SLS-AS-1

माननीय वन मंत्री ...जारी

घटना की प्राथमिकी थाना हरोली में दर्ज़ करवाई जा चुकी है जिस का नम्बर 31 दिनांक 19.2.2016 है जिस की छाया प्रति संलग्न की जा रही है । उपरोक्त मामले में अवैध रूप से लक़डी ले जाने वाले ट्रक नम्बर-एच0. पी0. 72-2577 को वन विभाग द्वारा प्रारम्भ किए गए प्रयासों के फलस्वरूप पुलिस द्वारा पक़डा जा चुका है जो कि पुलिस चौकी

टाहलीवाल में ख़डा है । दिनांक 19.02.2016 को इलाके की पुनः छानबीन की गई जिस दौरान अवैध रूप से काटी गई कुल 8.1064 घन मीटर लकडी शीशम, सीरस, आम जब्त की गई जिसकी कुल कीमत 2,53,807/-रूपये आंकी गई है । पुलिस द्वारा अब तक चार आरोपियों को गिरपतार किया जा चुका है जिनके नाम मुश्ताक, अलीबक्श, रशीद एंव शीशदीन हैं ।

यह गांव पंजाब के बॉर्डर पर है, इसलिए पंजाब के लोग भी आते हैं और यहां के लोग जो सदियों से ऐसा धंधा कर रहे हैं, वह लोग भी संलिप्त होते हैं। इसलिए ही इनमें इतना हौंसला है कि ये वन विभाग के लोगों को मार-पीट करने की हिम्मत करते हैं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया है कि हम अपने कर्मचारियों को उन गुंडों के पास भेज देते हैं जिनके पास रिवालवर और दूसरे हथियार होते हैं। फिर वह ट्रक को कैसे घेरेंगे, कैसे पकड़ेंगे। मैंने अनुरोध किया है कि जैसे पुलिस वालों के पास हथियार होते हैं, वह किसी भी किसम के हों, वह हमारे कर्मचारियों के पास भी होने चाहिए ताकि वह भी अपनी रक्षा कर सकें। पहले डी.एफ.ओ. और कंजर्वेटर के लिए जो बत्ती होती थी, बाकी सब विभागों में मिल गई है लेकिन जो बॉर्डर पर जाने वाले हैं, जो रक्षा करने वाले हैं; जैसे पुलिस वाले होते हैं, आर्मी और दूसरी फोर्सिज के लोग देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही अगर जंगल की रक्षा करनी है तो thee should be a protection from the Government side. मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी अनुरोध किया है। यह ठीक है कि आपके समय में वन थाने खोले गए थे और वहां राईफल दी गई। लेकिन उसमें असला नहीं दिया गया। वह प्रावधान कानून में नहीं किया गया। वहां खाली खोखे रखे हुए हैं। मैंने प्रिंसिपल सी.सी.एफ. को पूछा कि What is this? बोले, सर उस समय

11.03.2016/1230/SLS-AS-2

हथियार दिए गए थे लेकिन उसमें असला मंजूर नहीं किया गया। इसलिए कानून के

अनुसार इसे कैबिनेट में लाकर हमें असले का प्रबंध करना पड़ेगा। उसके बाद उनको बत्ती भी देनी पड़ेगी। तभी हम अपने वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की रक्षा कर पाएंगे और तभी जंगलों की रक्षा होगी। इससे जानवरों से भी और अन्य ख़तरों से भी रक्षा होगी, तब जाकर बात बनेगी।

उपरोक्त की गई त्वरित कार्यवाही से स्पष्ट है कि सरकार इस प्रकार के तस्करी के मामलों को रोकने के प्रति पूरी तरह सजग है और इस मामले में भी कठोर कार्यवाही अमल में लाई गई है ।

प्रदेश सरकार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कृत-संकल्प है तथा इस विषय मे निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं ।

- वनों को चोरी तथा कटान आदि से बचाने के लिए संवेदनशीलता के आधार पर कुल 2026 में से 593 वन बीटें अति संवेदनशील घोषित की गई हैं। विभाग का यह प्रयास रहता है कि संवेदनशील बीटों को खाली न रखा जाए व जब भी इन बीटों में से किसी का स्थानान्तरण होता है तो बिना प्रतिस्थानी के रिलीव नहीं किया जाता है। इससे अवैध कटान के मामलों पर काफी अंकुश लगा है।

हमने 650 के लगभग गार्डों की भर्ती की है और बीटों में पद भरे जा रहे हैं। कुछ खाली हैं क्योंकि कुछ लोग अभी ट्रेनिंग में हैं। जैसे ही वह ट्रेनिंग से आएंगे, उन्हें वहां नियुक्त करेंगे। जो अन्य वैकैंसीज होंगी, वह चाहे ब्लॉक ऑफिसर की हैं, गार्ड की हैं, रेंज ऑफिसर की हैं; जो खाली हैं उनके लिए भी हमने माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध किया है कि वह पोस्टें भरी जाएं ताकि हम उनको ट्रेनिंग दें और कोई भी बीट, ब्लॉक या रेंज या डिविजन प्रदेश में खाली न रहे ताकि हम जंगल की रक्षा ठीक ढंग से कर सकें।

हिंदी में ...गर्ग जी

वन मंत्री-----क्रमागत

अवैध कटान के मामलों का निरीक्षण एवं समीक्षा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, लकड़ी तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए 2 वन मण्डल उड़नदस्ते (उत्तरी व दक्षिणी) खोले गए हैं। इन वन मण्डलों के स्टाफ द्वारा सेंद लगाकर वाहनों को पकड़ा जाता है और जो अवैध कटान होता है उनको भी पकड़ा जाता है और उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई होती है। लकड़ी की तस्करी की शिकायत मिलने पर और वैसे भी वन विभाग के क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा संयुक्त छापा मारा जाता है। इस छापेमारी में तस्करी करते हुए जो वाहन अवैध रूप से वन सम्पदा को ले जाते हुए पकड़े जाते हैं उनको भारतीय वन अधिनियम, 1927 (संशोधित वन अधिनियम, 1991) की धारा 52-ए के अन्तर्गत वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) तथा (वन्य प्राणी) को दी गई शक्तियों के अनुरूप वन सम्पदा सहित जब्त किया जाता है।

वन अपराधियों से प्रभावी रूप से निपटने हेतु वन अधिकारियों/कर्मचारियों को हथियार देना विचाराधीन है तथा ऐसे मामलों में तस्करों व वन अपराधियों को रोकने व प्रभावी रूप से पीछा करने हेतु वन अधिकारियों के वाहनों पर नीली बत्ती लगाने हेतु सरकार विचार कर रही है जिससे तस्कर व अन्य वन अपराधी हतोत्साहित हों और वन कर्मियों पर हमला करने का दुस्साहस न करें। जहां कहीं भी अवैध कटान व तस्करी के मामले संज्ञान में आते हैं वन विभाग द्वारा तुरन्त सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जाती है।

अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्य मंत्री पहली बार मुख्य मंत्री बने थे, तो इन्होंने आते ही इस अवैध कटान पर प्रतिबन्ध लगाया था। इसलिए हमारी तो यह शपथ और संकल्प है कि हम जंगलों को नहीं कटने देंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष : सत्ती जी, आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं?

11/03/2016/1235/RG/AS/2

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि आपके 8-9 लोग आपके घायल हुए हैं और चार लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो क्या इसमें और लोग भी नामज़द किए गए हैं और उन्होंने यदि कोई और नाम भी इस मामले में बताए हैं, तो वे कहां के हैं? जो चार लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं क्या उनमें कोई पंजाब का भी है?
अध्यक्ष महोदय, मेरा मेन कन्सर्न यह है कि हमारे इतने लोगों को चोटें लगीं और हम दो-तीन के साथ मामला निपटाकर बाकी लोगों को छोड़ रहे हैं। जो भी इस मामले में दोषी है जैसा मीडिया में भी आया कि बच्चों, महिलाओं और अनेकों ने अटैक किया और यदि गांव वालों ने इसमें सहयोग किया होगा, तो हमें उनको भी पकड़ना चाहिए ताकि आगे के लिए कोई ऐसा दुस्साहस न करे।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम असलहा और राइफलें देंगे, तो कब तक ये इस पर जल्दी-से-जल्दी कार्रवाई कर देंगे? तीन साल से तो आप इस पर चर्चा कर रहे हैं, आपने खाली राइफलें देख लीं। आपने कहा कि वे हमने दे दीं, तो आपने कारतूस ही देने थे, आप वह डिब्बा मंगा लो, नहीं तो हमें बताओ, हम डिब्बे ले आएंगे और आपको कारतूस दे देंगे। इसमें कितना समय आपको टैण्डर करने या खरीदने में लगेगा? इन दो विषयों पर क्या माननीय मंत्री जी प्रकाश डालेंगे?

11/03/2016/1235/RG/AS/3

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जैसा कह रहे हैं कि जो खाली खोखे पड़े हुए हैं उसमें कानूनी तौर पर हम अमल कर रहे हैं **और बहुत जल्दी इस मामले में कार्रवाई करेंगे। हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया है कि इनके संरक्षण के लिए कोई-न-कोई तौर-तरीका हम निकालें। जैसे पुलिस वालों को हथियार दिए जाते हैं और उनको असला भी दिया जाता है उसके मुताबिक हम वहां कार्रवाई करें और इनको बत्ती भी दी जाए और यह कार्रवाई की जाए। जहां तक माननीय सदस्य ने बात की कि बाहर के कितने और अंदर के कितने लोग हैं, तो अभी जांच चल रही है। हम**

यह चाहते हैं कि जो दोषी न हो, उसको गिरफ्तार न किया जाए। उस पर कोई कार्रवाई न हो और गुण व दोष के आधार पर हम देख रहे हैं। हमने माननीय मुख्य मंत्री जी और पुलिस विभाग से अनुरोध किया है कि there should be justice, There should be no injustice , तो there will be justice. You don't worry.

एम.एस. द्वारा अगली मद शुरू

11/03/2016/1240/MS/AG/1

नियम-61 के अंतर्गत आधे घण्टे की चर्चा

अध्यक्षः अब नियम-61 के अंतर्गत आधे घण्टे की चर्चा होगी। माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कंवर जी दिनांक 2 मार्च, 2016 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्याः 2693 के उत्तर से उत्पन्न विषय पर चर्चा करेंगे।

श्री वीरेन्द्र कंवरः अध्यक्ष महोदय, नियम-61 के तहत मैंने ऊना जिला के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके अभाव के बारे में प्रश्न संख्या 2693 के द्वारा पूछा था, जिसमें विस्तृत जानकारी के लिए आपने मुझे समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

आजादी के बाद यह हमारा एक अधिकार था कि हमें स्वास्थ्य सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती लेकिन एक लम्बे समय से क्षेत्र के लोग इन सेवाओं से वंचित हैं। मेरा कुटलैहड़ क्षेत्र भोगौलिक दृष्टि से एक बहुत लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है। अध्यक्ष जी, हरेक विधान सभा क्षेत्र के अंदर एक स्वास्थ्य संस्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर हर तरह की सुविधा हो। वहां पर गाइनेकोलोजिस्ट, सर्जन, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड की सेवाएं भी प्राप्त होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र के बंगाणा सब-डिवीजन में एक सी0एच0सी0 बंगाणा में है, एक पी0एच0सी0 लठैणी में है, एक पी0एच0सी0 थानाकलां में है और एक पी0एच0सी0 अभी रायपुर मैदान में खुली है। लेकिन पिछले तीन वर्ष पहले जैसे ही सरकार बदली तो सी0एच0सी0 लठैणी से मेडिकल ऑफिसर की ट्रांसफर भी हो गई और दुर्भाग्यवश

लठैणी में मेडिकल ऑफिसर अभी तक नहीं आया है। उसी तरह बंगाणा की हालत है। बंगाणा के अंदर भी कई दिनों तक मात्र आयुर्वेदिक डॉक्टर के सहारे सी0एच0सी0 चलता रही और वहां पर भी डॉक्टर्ज की पोस्ट्स का अभाव है। एक्स-रे टैक्निशियन पिछले कई वर्षों से वहां पर नहीं है। उसी तरह से थानाकलां में पिछले तीन वर्षों से लगातार आयुर्वेदिक डॉक्टर कभी ऊना से शिफ्ट डालकर वहां पर भेजा जाता है। आज वहां पर भी डॉक्टर नहीं है। अब तो कई वर्षों तक ऐसे ही पड़े रहने के कारण एक्स-रे की मशीन को भी जंग लग गया है। उसी तरह

11/03/2016/1240/MS/AG/2

से रायपुर मैदान में जो पी0एच0सी0 खुली, वह भी मात्र फार्मासिस्ट और पीयन के सहारे चल रही है। वहां पर भी कोई डॉक्टर नहीं भेजा गया। मैं हर बार इस विषय को विधान सभा में उठाता हूं और हर बार आश्वासन ही मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, जब यह प्रश्न यहां चर्चा के लिए लगा तो वहां पर इसे मरीजों की संख्या जानने के लिए भेज दिया गया। अब कई वर्षों से वहां पर डॉक्टर नहीं है तो मरीज कहां से आएंगे? जो भी मरीज होते हैं वे इधर-उधर जा रहे हैं। जैसे सरकार की यह प्रपोजल है कि 100 प्रतिशत अस्पताल में डिलीवरी होनी चाहिए तो अगर रात के समय महिला के डिलीवरी केस की बात हो तो वहां दिक्कत हो जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार और मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब उस पूरे 50 किलोमीटर के एरिये में कोई ऐसा अस्पताल ही नहीं है, कोई गाइनेकोलोजिस्ट्स ही नहीं है तो वहां पर 100 प्रतिशत क्या, वहां पर तो एक प्रतिशत भी अस्पताल में डिलीवरी नहीं होगी।

उसी तरह से जहां पीने-के-पानी की स्कीमें हैं वहां पर फिल्टर गैलरीज नहीं हैं। सोर्स से सीधा पानी ट्रैप करके लोगों को पिलाया जा रहा है। पिछले वर्ष भी डायरिया जैसा भयानक रोग उस क्षेत्र में फैला। उसी तरह से आज बहुत सारे लोग पीलिया और स्क्रब टायफस जैसे भयानक रोगों से पीड़ित हैं लेकिन वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं नाम की कोई चीज पिछले तीन वर्षों से हमें प्राप्त नहीं हो रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

11.03.2016/1245/जेएस/डीसी/1

श्री वीरेन्द्र कंवरः-----जारी-------

माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि एक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कम से कम एक हॉस्पिटल ऐसा दे दीजिए। ऐसा हॉस्पिटल सी0एच0सी0 बंगाणा है, कम से कम वहां पर तीन या चार डॉक्टर्ज होने चाहिए। उसी तरह से वहां पर गाईनाकोलोजिस्ट की भी आवश्यकता है। वैसे ही पी0एच0सी0 थानांकलां में है। वहां पर भी डॉक्टर नहीं है, वहां पर भी डॉक्टर्ज़ तुरन्त भेजे जाएं। मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि सी0एच0सी0 बंगाणा में मात्र एक डॉक्टर है। थानांकलां में पिछले चार वर्षों से कोई भी डॉक्टर नहीं है। लठेणी में पिछले तीन वर्षों से डॉक्टर नहीं है और रायपुर मैदान भी खाली चल रहा है। हमारा जो क्षेत्र है, उसमें एक्सप्रैस हाई वे के कारण बहुत सारे एक्सिडैंट्स हो रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि रोड़ज़ के ऊपर एक्सिडैंट्स न हो। वहां पर फर्स्ट एड न मिलने के कारण लोग दम तक तोड़ देते हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको कारगर करने के लिए हमारे क्षेत्र के अन्दर डॉक्टर्ज़ की जो खाली पोस्टें हैं वे शीघ्र भरी जाएं। सी0एच0सी0 बंगाणा में जो कि हेड क्वार्टर का हॉस्पिटल है वहां पर पोस्टें कम हैं। अगर वहां पर पोस्टें सृजित नहीं हैं तो उन पोस्टों को सृजित किया जाए। उसी तरह से पी0एच0सी0 थानांकलां के लिए भी डॉक्टर की एक ही पोस्ट है। वहां पर भी डॉक्टर्ज़ की पोस्टें, फार्मासिस्ट्स की पोस्टें और पैरा मेडिकल स्टाफ की पोस्टें बढ़ाई जाएं। अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

Speaker: Hon'ble Health and Family Planning Minister has authorized Shri Mukesh Agnihotri Ji (Hon'ble Industry Minister) to reply.

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यहां पर ऊना

जिला में और खासतौर से उनके विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं व डॉक्टर्ज़ के मसले को उठाया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नियम-61 के तहत यह मसला उठाया है। वैसे तो विधान सभा का जो प्रश्न है उसका ज़वाब पढ़ने में चूक के

11.03.2016/1245/जेएस/डीसी/2

चलते माननीय सदस्य ने इसको उठाया है। जिस ढंग से इन्होंने अपने प्रश्न को स्टडी किया है वह पढ़ने में चूक हुई है। इन्होंने कहा कि रीज़नल हॉस्पिटल ऊना में स्वीकृत 22 के स्थान पर एक पद एम0ओ0 का भरा है जबकि वहां पर मेडिकल ऑफिसर्ज़ की 22 पोस्टें हैं और 22 के अंगेस्ट 21 भरी हैं औ एक पोस्ट खाली है। इनको यह पढ़ने में चूक हो गई है कि किसी भीर रीज़नल हॉस्पिटल में 22 पोस्टों के मुकाबले में एक पोस्ट भरी हुई नहीं हो सकती है। उसमें 21 पोस्टें भरी हुई हैं। आपने नम्बर-3 पर लिखा है कि आर0एच0 ऊना में स्वीकृत 22 के स्थान पर एक पद एम0ओ0 का भरा है। स्टॉफ नर्सिज़ 27 की जगह केवल 5 हैं। वहां पर स्टॉफ नर्सिज़ 27 के मुकाबले 32 हैं और 5 सरप्लस है। प्रश्न का उत्तर पढ़ने में कहीं न कहीं माननीय सदस्य की चूक हुई है। इन्होंने कहा कि पी0एच0सी0 थानांकलां में एक भी स्वीकृत पद भरा नहीं गया है और पूरी पी0एच0सी0 खाली है। जबकि पी0एच0सी0 थानांकलां में बी0एम0ओ0 इन पोजिशन है, मेडिकल ऑफिसर की एक सैंक्शड पोस्ट के अंगेस्ट एक भरा हुआ है। फार्मासिस्ट की एक पोस्ट के अगेंस्ट एक भरी हुई है। सुप्रीन्टैंडैंट की एक पोस्ट एक भरी हुई है। स्टॉफ नर्स एक के मुकाबले में दो है और एक पोस्ट सरप्लस है। मैं यह भी समझता हूं कि माननीय सदस्य को यह भी पढ़ने में चूक हुई है। नम्बर-3 में पी0एच0सी0 बंगाणां के मसले में इन्होंने कहा है कि क्लास-IV कर्मचारी पी0एच0सी0 चला रहे हैं। यहां पर भी मुझे स्पष्ट करना है। माननीय सदस्य का लिखा हुआ है और नियम-61 के तहत आपने 1, 2 और 3 प्वाईंट रेज़ किए हुए हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

11.03.2016/1250/SS-AG/1

उद्योग मंत्री क्रमागतः

उसके तहत अब बंगाणा में मेडिकल ऑफिसर की दो सैंक्शंड पोस्ट के अगेंस्ट एक इन पॉजिशन है। डैंटल की पोस्ट भरी हुई है। चीफ फार्मासिस्ट की एक पोस्ट के अगेंस्ट एक आदमी वहां पर तैनात है। स्टाफ नर्स एक के मुकाबले में दो हैं और एक सरप्लस है। यह जो प्रश्न आपकी तरफ से उठाया गया है और 1, 2, 3 प्वाइंटस आपने कहे हैं ये कहीं भी तथ्यों से मेल नहीं खा रहे हैं। लेकिन मैं इसके तथ्यों में न जाकर आपकी मंशा पर बात करना चाहूंगा कि आप चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ की जाएं। इस समय विभाग को थोड़ी दिक्कत है। वैसे आपके जिले में हैल्थ के सारे संस्थानों में 343 पोस्टें हैं। उसके अगेंस्ट 102 पोस्टें खाली हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्थिति यह है कि मेडिकल ऑफिसर 22 के अगेंस्ट 21 हैं। डैंटल सर्जन 3 के मुकाबले 3 हैं और उसके बाद वार्ड सिस्टर 5 के मुकाबले 5 हैं। स्टाफ नर्स 27 के मुकाबले 32 हैं। ट्रेंड दाई 3 के मुकाबले 3 हैं। चीफ फार्मासिस्ट 2 के मुकाबले 3 हैं। एक सरप्लस है। फार्मासिस्ट 7 के मुकाबले में 9 हैं। 2 सरप्लस हैं। इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्ट्रैंथ 124 के मुकाबले में 104 पोस्टें फिल अप हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय प्रदेश में 500 डॉक्टर्ज़ की कमी है। जैसे-जैसे डॉक्टर्ज़ आ रहे हैं उनको आगे भेजा जा रहा है। वॉक-इन-इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। डेज़ निर्धारित कर रखे हैं। मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में खाली पड़ी पोस्टों को भरने की बात कही है। **इसलिए मैं माननीय सदस्य जी से कहना चाहूंगा कि जो आपकी कांस्टीचुऐंसी में पोस्टें खाली हैं और जो क्रियाशील पोस्टों आप भरने की बात कर रहे हैं आने वाले समय में विभाग इसका पूरा ख्याल रखेगा और इनको भरने की कोशिश की जायेगी।** इसके अलावा आपने कहा कि वहां पर संस्थान खोले जाने चाहिएं, माननीय मुख्य मंत्री जी का कुटलैहड़ का टूअर डियू है, वे आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, आप वहां आएं और माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष बात रखें तथा हम भी आपकी पैरवी करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

11.03.2016/1250/SS-AG/2

अध्यक्षः वीरेन्द्र कंवर जी, आप थोड़ा संक्षेप में पूछ लीजिये।

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय अध्यक्ष जी, जो इन्होंने थानाकलां की बात कही, मैं इनको अवगत करवाना चाहता हूं कि थानाकलां में बी0एम0ओ0 की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। बी0एम0ओ0 कभी कुर्सी पर मरीज को नहीं देखता है। वह जा करके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की जो स्कीमें/प्रोग्राम्ज़ हैं उनकी इम्प्लीमैंटेशन के लिए लगा रहता है और वह पी0एच0सी0 हमेशा खाली रहती है। जिन डॉक्टर्ज़ की ये बात कर रहे हैं वे सारे आयुर्वैदिक डॉक्टर्ज़ भेजे हुए हैं। अब आप लठैनी में देखो, वहां आयुर्वैदिक डॉक्टर है। बंगाणा में भी आयुर्वैदिक डॉक्टर है। थानाकलां में आयुर्वैदिक डॉक्टर है। मैं पूछ रहा हूं कि मेडिकल ऑफिसर्ज़ कहां हैं? आप हमें वहां पर मेडिकल ऑफिसर्ज़ दीजिये। मैंने वहीं विषय यहां पर रखा है।

जहां तक ऊना हॉस्पिटल की बात है, वहां पर जिस तरह की भीड़ है आज मरीज़ को वहां पर खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती है। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि वहां पर भी एक्सट्रा फैसिलिटी दी जाए। वहां पर एक्सट्रा बैड उपलब्ध करवाये जाएं। जितने एक्सीडैंट्स वहां हो रहे हैं उसके मद्देनज़र वहां पर ट्रॉमा सैंटर होना चाहिए। इसके लिए भी वहां पर व्यवस्था की जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे ऑलरेडी आयुर्वैदिक डिस्पैंसरीज़ हैं अगर आपने वही आयुर्वैदिक डॉक्टर्ज़ पी0एच0सीज़0 और सी0एच0सीज़0 में देने हैं तो फिर उन पी0एच0सीज़0 को बंद कर दो। आप सी0एच0सीज़0 को बंद कर दो। अब बंगाणा में सिर्फ एक डॉक्टर है। जब वह एक डॉक्टर रात को सर्विस देता है तो सुबह वह खाली होता है। वहां पर एक आयुर्वैदिक डॉक्टर होती है, मरीज़ जाते हैं और वह कहती है कि मैं आपको ऊना रैफर कर देती हूं। आज स्थिति यह है। अगर सिविल हॉस्पिटल हरोली में 7 डॉक्टर्ज़ हो सकते हैं लेकिन वह वहां से सिर्फ 10-12 किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है और बंगाणा जोकि 30 किलोमीटर की दूरी पर हॉस्पिटल है वहां पर सिर्फ एक ही डॉक्टर चाहिए और बाकी आयुर्वैदिक चाहिए! मेरा निवेदन यह है कि वहां की हैल्थ सर्विसिज़ को स्ट्रैंथन करने के लिए क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि वहां का दर्जा बढ़ाया जायेगा?

जारी श्रीमती के0एस0

11.03.2016/1255/केएस/एजी/1

श्री वीरेन्द्र कंवर जारी---

और साथ में अगर वहां सी.एच.सी. रखनी है तो उसके लैवल का स्टाफ वहां पर भी दीजिए। थानाकलां में कम से कम पी.एच.सी. लैवल का स्टाफ लगाएं ।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की मंशा से पूरी तरह सहमत हूं लकिन नियम-61 के तहत जो प्रस्ताव आया है उसमें आपने स्पष्ट तौर पर नं0-3 पर लिखा है कि रीज़नल हॉस्पिटल ऊना में स्वीकृत 22 के स्थान पर 1 एम.ओ. का पद भरा है। तो 22 के अगेंस्ट एक है और स्टाफ नर्स 27 की जगह केवल पांच हैं। मैंने आपको स्पष्ट तौर पर बताया कि वहां पर सिविल हॉस्पिटल में 22 की जगह 21 डॉक्टर है और नर्सें 27 के अगेंस्ट 32 हैं। अब यह चूक आपके स्तर पर हुई है या सचिवालय के स्तर पर हुई है, हो सकता है कि जो बात आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लिखा गया लेकिन जो प्रस्ताव विभाग के पास आया है, उसके मुताबिक यह बात है। दूसरा आपने कहा है कि जहां पर आयुर्वेदिक डॉक्टर्ज़ लगे हैं उनकी बजाय एलोपैथी के डॉक्टर वहां लगाए जाएं तो जैसे-जैसे डॉक्टर्ज़ की भर्ती होंगी वहां लगाए जाएंगें। पी.एच.सी. थानाकलां की सेंक्शंड स्ट्रैंथ के बारे में कहना चाहूंगा कि वहां बी.एम.ओ. की एक के अगेंस्ट एक है, मैडिकल ऑफिसर एक के अगेंस्ट एक है, फार्मासिस्ट एक के अगेंस्ट एक है, सुप्रींटैंडैंट एक के अगेंस्ट एक है, स्टाफ नर्स एक के मुकाबले दो हैं, एफ.एच.डब्ल्यू. 11 के मुकाबले 10 हैं और ड्राईवर और क्लास-iv आदि की लगभग सारी पोस्टें भरी हुई हैं लेकिन अगर आप यह कह रहे हैं कि आयुर्वेदा डॉक्टर वहां पर लगाया है उसकी जगह अगर आप एलोपैथी डॉक्टर चाहते हैं तो जैसे ही डॉक्टर आएंगें हम प्राथमिकता के आधार पर आपके वहां डॉक्टर मुहैया करवाने का प्रयास करेंगें।

11.03.2016/1255/केएस/एजी/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, हमने आज जब बहिर्गमन किया तो शायद माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि ये क्यों बाहर गए, यह प्रदेश की जनता जानना चाहती है? ये बहुत अनुभवी हैं, छः बार मुख्य मंत्री रहे हैं । अध्यक्षपीठ पर पिछले सप्ताह श्री

सुरेश भारद्वाज जी बैठे हुए थे, पहले तो ये हैरान हुए कि ये वहां कैसे बैठ गए, शायद इनको पता नहीं था कि ये भी प्रीज़ाइडिंग ऑफिसर के पैनल में हैं। उन्होंने जो निर्देश पीठ से दिया मुख्य मंत्री महोदय उस समय आप स्वयं वाक आऊट कर गए थे। किसी प्रदेश में किसी मुख्य मंत्री ने वाक आऊट नहीं किया होगा। लोकतंत्र में वाक आऊट विपक्ष का एक नॉर्मल अधिकार है, मुख्य मंत्री का नहीं। कल लोकसभा में इशरत जहां के केस पर चर्चा हो रही थी तो वहां पर आपका सारा नेतृत्व वाक आऊट कर गया। आप इस तरह की बातें जब करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। कृपया आगे से इसको अवाईड करें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इन लोगों के प्रश्न थे, आप जानते हैं कि प्रश्नों के उत्तर आने में प्रशासन का कितना खर्च होता है। आज के प्रश्न के लिए मैं खुद रात को ढाई बजे तक प्रश्नों को पढ़ता रहा और जब उत्तर देने की बारी आई तो आप बाहर चले जाते हैं। आप किस कारण से बाहर गए, मुझे नहीं पता। मगर कम से कम प्रश्नकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत होती है और उसका उत्तर देने के लिए सम्बन्धित मंत्री उसको पढ़ते हैं तो उस वक्त अगर कोई वाक आऊट कर जाएं तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है और जब आप उठकर गए हमें मालूम नहीं था कि क्यों गए। उसका कारण क्या था?

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी की देर रात तक पढ़ने की पुरानी आदत है और कई बार अगर तैयारी प्रॉपर नहीं हो तो आदमी ज्यादा बार पढ़ता है लेकिन जिस दिन आप यह कारण बता देंगें कि आप उस दिन क्यों वाक आऊट करके गए हैं उस दिन हम भी बता देंगें कि हम क्यों वाक आऊट करके गए।

11.03.2016/11255/केएस/एजी/3

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि जब वाक आऊट होता है तो वाक आऊट करने से पहले हमेशा बताते हैं कि हम क्यों वाक आऊट कर रहे हैं। हमने सोचा पता नहीं

किसी की तबीयत बिगड़ गई होगी एकदम से। और सभी लोगों की एक ही वक्त में तबीयत बिगड़ जाए यह भी सम्भव नहीं है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

11.3.2016/1300/av/as/1

मुख्य मंत्री --------- जारी

आप बाहर बताकर जाएं कि आप किसी चीज के विरोध में बाहर जा रहे हैं, क्या कोई जरूरी मंत्रणा करने बाहर जा रहे हैं; कुछ तो बता कर जाना चाहिए। हमको भी आपकी फिक्र रहती है।

श्री प्रेम कुमार धूमल : मैं इस चिन्ता के लिए मुख्य मंत्री का धन्यवादी हूं। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया है कि जिस दिन आप यह बता देंगे कि आप उस दिन क्यों वॉकआउट कर गये थे तो उस दिन हम भी आपको बता देंगे।

वास्तव में यह हुआ कि जब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी उत्तर दे रहे थे तो हम लगातार अनुपूरक प्रश्न करने के लिए हाथ उठा रहे थे। दस मिनट तक तो मैं ही कोशिश करने लगा रहा, हमारे सदस्य चिल्लाते रहे कि हमें पूछने का मौका दो। माननीय मंत्री और एक माननीय सदस्य के बीच में जो एक डायलॉग शुरू हुआ तो वह खत्म होने में ही नहीं आ रहा था। मुख्य मंत्री महोदय, वह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैं यहां पर रिकॉर्ड में भी लाना चाहूंगा कि ग्राम सभा वाला सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया है। उसमें कोरम पूरा नहीं होता। हमारे समय में भी बी0पी0एल0 परिवार को चयन करने की यही प्रक्रिया होती थी मगर लोग ग्राम सभा में नहीं आते। इसलिए जो सिस्टम फेल हो जाए उस पर पुनः विचार करना चाहिए और यह आवश्यक है। हो यह रहा है कि साधन-सम्पन्न लोग बी0पी0एल0 परिवारों में आ रहे हैं और सारे फायदे उठा रहे हैं। अगर आप प्रदेश में इस सम्बंध में जांच करवायेंगे तो पायेंगे कि कई जगह पर प्रधानों ने अपने आपको ही बी0पी0एल0 परिवारों में रखा है। वे रोजगार के साथ सस्ता राशन तथा अन्य सुविधाएं भी ले रहे हैं। सारे सदन की यह चिन्ता है कि कोई ऐसा मेकेनिज्म तैयार

किया जाए जैसे आशा कुमारी जी द्वारा भी कहा गया था कि क्या आप एस0डी0एम0 को ऑथोराइज करेंगे। गांव में लोग वहां जाकर एक-दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते हैं। आपने जो बी0पी0एल0 परिवारों के घरों के बाहर बड़े-बड़े

11.3.2016/1300/av/as/2

बोर्ड लगाने की बात कही है वह पहले भी लगे हुए हैं मगर कहीं छिपाकर लगाये हुए हैं। आपने कहा कि प्रोमिनैंटली लगायेंगे तो वैरिफाई करना मुश्किल है क्योंकि इसमें लाखों लोग हैं। अगर एक इस तरह का मेकेनिज्म डिवैल्प हो जाए जिससे यह पता चले कि गवर्नमैंट की मदद से किस परिवार की आमदन अच्छी हो गई है तो वह बाहर जाए और उसमें कोई दूसरा डिजर्विंग परिवार आए या फिर जो नॉन डिजर्विंग आ गये हैं उनको हटाओ तथा नये डिजर्विंग परिवार शामिल हो। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम सारे अनुपूरक प्रश्न करना चाह रहे थे लेकिन हमें मौका ही नहीं दिया जा रहा था इसलिए हमने वॉकआउट किया। आप रात को ढाई बजे तक पढ़ते रहे और सुबह 11 बजे हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर न मिले तो फिर कुछ गड़बड़ी है।

11.3.2016/1300/av/as/3

मुख्य मंत्री : यह प्रश्न तो मेरा नहीं था और इसका उत्तर मुझे नहीं देना था। बाकी प्रश्न पूछने के लिए किस को कॉल किया जाता है, यह अधिकार तो चेयर का है। इसका मतलब आप चेयर की रूलिंग के खिलाफ बाहर गये हैं, आप हमसे क्यों नाराज है?

Speaker: My reference is there. So I would like to explain that I was giving ample time to everybody. I was coming to you also. Just in haste, you walked out. That was not understandable. I consider all the Members equally.

अब इस मान्य सदन की बैठक सोमवार दिनांक 14 मार्च, 2016 के 2.00 बजे (अपराह्न) तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक : 11 मार्च, 2016 **सचिव।**